निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशक ३१ मार्च २०१९ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के ८०वें वार्षिक रिपोर्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यह रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ ("सूचीकरण विनियम") तथा कंपनी के लिए लागू अन्य नियमों एवं विनियमों के अनुरूप उनके अनुपालन के अंतर्गत है।

वित्तीय परिणाम

स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

(राशि : ₹ करोड़ में, ईपीएस के लिए छोड़कर)

विवरण	वित्तीय वर्ष २०१८-१९	वित्तीय वर्ष २०१७-१८
प्रचालनों एवं अन्य आय से प्राप्त राजस्व	६,७३८.५७	४,७६९.५८
वित्तीय लागत एवं मूल्यह्रास के पूर्व सकल लाभ	४१३.७८	३४६.६३
घटाएं : वित्तीय लागत	११५.८८	५८.८६
घटाएं : मूल्यह्रास	३८.४६	३३.९४
अपवादात्मक मदों और कर से पहले लाभ / (हानि)	२५९.४४	२५३.८३
अपवादात्मक मदें	-	(८९.३६)
करों के पूर्व लाभ /(हानि)	२५९.४४	१६४.४७
घटाएं : कर व्ययों के लिए प्रावधान	९२.३७	८०.८५
कर पश्चात लाभ /(हानि)	१६७.०७	८३.६२
घटाएं : अन्य व्यापक आय	४.२९	(४.०८)
जोड़ें : लाभ और हानि खाते में अतिशेष	१९४.४५	१४०.९२
घटाएँ : लाभांश, जिसमें वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश वितरण कर शामिल है।	४३.१०	३४.१८
अनुभाजन के लिए उपलब्ध अतिशेष	३१४.१३	१९४.४५
सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरित राशि	-	-
बेसिक ईपीएस (₹)	१६.३४	८.२३
डाइल्यूटेड ईपीएस (₹)	१६.३०	८.१९

समेकित वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

(राशि : ₹ करोड़ में, ईपीएस के लिए छोड़कर)

विवरण	वित्तीय वर्ष २०१८-१९	वित्तीय वर्ष २०१७-१८
प्रचालनों व अन्य आय से प्राप्त राजस्व	६,७४४.३६	४,७६९.५८
अपवादात्मक मदों और कर से पहले लाभ / (हानि)	२४३.५१	२५३.८३
अपवादात्मक मदें	-	७८.७९
कर पूर्व लाभ/(हानि) का हिस्सा	२४३.५१	१७५.०४
सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के लाभ / (हानि) का हिस्सा	(२.३९)	(१०.५६)
करों से पहले लाभ / (हानि)	२४१.१२	१६४.४८
घटाएं : कर व्ययों के लिए प्रावधान	८७.५५	८०.८५
अवधि के लिए लाभ / (हानि)	१५३.५८	८३.६३
बेसिक ईपीएस (₹)	१५.०२	८.२३
डाइल्यूटेड ईपीएस (₹)	१४.९८	८.१९

कंपनी के वित्तीय परिणाम प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में वर्णित हैं।

विगत चार वर्षों के लिए और ३१ मार्च २०१९ को समाप्त वर्ष के लिए निवल सम्पत्ति पर प्रतिफल, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को निम्नानुसार दर्शाया गया है :

विवरण	२०१८–१९	२०१७–१८	२०१६–१७	२०१५–१६	२०१४–१५
निवल सम्पत्ति पर प्रतिफल (%)	१५.५०	८.८५	१२.३५	१२.७२	लागू नहीं
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (%)	१४.१३	१८.८१	१७.५४	२६.८९	७.७९
आधारभूत ईपीएस (अपवादात्मक मदों के बाद) (₹)	१६.३४	८.२३	१०.६५	९.४८	(१.३९)

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं थी, जिससे इस प्रतिवेदन की तिथि को यह वित्तिय विवरण संबंधित है।

३१ मार्च, २०१९ को, पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों सहित सकल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ ₹ ४५५.८६ करोड़ की थीं और पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों सहित शुद्ध संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ ₹ ३२२.२९ करोड़ की थीं। वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ ५४.६० करोड़ (विगत वर्ष में ₹ ३१.५२ करोड़) था।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अध्याय V के अंतर्गत कोई भी सार्वजनिक जमाएँ स्वीकार नहीं की थी।

३१ मार्च, २०१९ को कंपनी का रोकड़ और रोकड़ समतुल्य ₹ ११.२० करोड़ था। आपकी कंपनी रोकड़ और रोकड़ प्रवाह प्रक्रियाओं, जिसमें व्यवसाय के सभी भाग शामिल हैं, का लगन से प्रबंधन करती है। कंपनी अपनी कार्यशील पूँजी के विवेकपूर्ण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है। निरंतर निगरानी के माध्यम से प्राप्य राशियों, मालसूचियों और अन्य कार्यशील पूँजी मापदंडों को कठोर नियंत्रण के अधीन रखा गया था। विदेशी मुद्रा के लेनदेन आंशिक रूप से आवरित किए गए हैं। कंपनी के आयातों और निर्यातों के संदर्भ में कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण अनावरित विनिमय दर जोखिम नहीं है। हर तिमाही के अंत में मार्क-टु-मार्केट लाभों या हानियों के कंपनी के खाते इंड एस २१ की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व (विगत वर्ष : शून्य) में ₹ ४६.२५ करोड़ की राशि हस्तांतरित की थी। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय से सामान्य रिजर्व में कोई धनराशि हस्तांतरित नहीं की थी।

शेयर पूँजी

३१ मार्च, २०१९ को चुकता इक्विटी शेयर पूँजी ₹ २०.४८ करोड़ थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, बोनस इश्यू या प्रेफरेंशियल इश्यू आदि नहीं लाया गया था। कंपनी ने डिफरेंशियल मतदान अधिकार वाले शेयर नहीं जारी किए हैं। शेयरों की संख्या में वृद्धि कर्मचारियों को, उनके स्टॉक विकल्प का प्रयोग करने पर ₹ २ प्रत्येक के ३६२१०० इक्विटी शेयर ऑन अकाउंट जारी करने के कारण हुई है। ईपीएस की गणना के लिए, भारित औसत के आधार पर इन शेयरों को शामिल किया गया है। ३१ मार्च, २०१९ को निदेशकों की शेयरधारिता के विवरणों का 'फॉर्म एमजीटी-९' में इस निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लेख किया गया है।

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मतदान के अधिकार का सीधे प्रयोग नहीं करने के संबंध में अधिनियम की धारा ६७ (३) (सी) के अधीन किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त धारा के प्रावधान लागू नहीं हैं।

कंपनी के इक्विटी शेयर्स बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") पर सूचीबद्ध बने रहेंगे। वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिए सूचीकरण शुल्क का भुगतान दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को कर दिया गया है।

डिपॉज़िटरी प्रणाली

जैसा कि सदस्यों को पता है, कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यापार योग्य हैं। ३१ मार्च २०१९ को, १००५९३६१५ शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी की कुल ९८.२४% चुकता पूँजी डिमटेरियलाइज्ड रूप में है। डिपॉज़िटरी प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई लाभों के साथ-साथ धोखाधड़ी से बचने के लिए, भौतिक रीति से शेयरधारक सदस्यों को दोनों डिपॉज़िटरीयों, अर्थात, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") में से किसी से भी डिमटेरियलाइजेशन की सुविधा का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है।

लाभांश और लाभांश वितरण नीति

आपके निदेशक वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए ₹ २ प्रत्येक वाले १०२३९९६०१ इक्विटी शेयरों पर १७५% (₹ ३.५०) के लाभांश की अनुशंसा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। लाभांश की राशि एवं उस पर कर समेकित रूप से ₹ ४३.२१ करोड़ (पिछले वर्ष ₹ ४३.१० करोड़) है। इक्विटी शेयरों पर लाभांश, जो कि दिनांक ७ अगस्त २०१९ को होने वाली एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है, का भुगतान दिनांक १४ अगस्त २०१९ को या उसके बाद उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम २६ जुलाई, २०१९ को व्यवसायिक समय के समापन पर सदस्यों की रजिस्टर में प्रदर्शित होंगे; अभौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में इसका भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम उस तिथि पर व्यवसायिक समय के समापन पर लाभार्थी स्वामियों के रूप में डिपॉजिटरीज़ द्वारा दिए जाते हैं।

लाभांश के भुगतान के लिए बही समाप्ति तिथि से पहले कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत प्रदत्त स्टॉक विकल्पों के माध्यम से आवंटित हुए शेयरों को विद्यमान शेयरों के साथ समान श्रेणी में रखा जाएगा और वे लाभांश के पात्र होंगे।

सूचीकरण विनियमों के विनियम ४३ए के अनुसार, शीर्ष ५०० सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा एक लाभांश वितरण नीति तैयार की जाएगी। तदनुसार, उस नीति को ऐसे मापदंडों एवं परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा, जिसमें उसके शेयरधारकों को लाभांश और/या कंपनी द्वारा अर्जित धारित लाभ के वितरण के निर्धारण के लिए मंडल द्वारा विचार किया जाएगा। कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर इस नीति को देखा जा सकता है।

प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर ऋणपत्रों (डिबेंचर्स) का निर्गमन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने तीन विकल्पों, ३५० एनसीडी के विकल्प ए, ७५० एनसीडी के विकल्प बी तथा ७५० एनसीडी के विकल्प सी में प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर ₹ १८५ करोड़ पूर्ण योग के ₹ १०,००,०००/-प्रत्येक के १८५० असुरक्षित सूचीबद्ध मोचनयोग्य गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) जारी किए हैं, जो क्रमशः आईएसआईएन 'आईएनई१९३ई०८०३८', 'आईएनई१९३ई०८०२०' और 'आईएनई१९३ई०८०१२' के अंतर्गत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं। एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड ऋणपत्र धारकों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी है। इसका विवरण वार्षिक प्रतिवेदन के कॉर्पोरेट प्रशासन अनुभाग में प्रदान किया गया है। पुनश्च, सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन ५३ के अनुसार, "संबंधित पक्ष प्रकटीकरणों" पर लेखांकन मानक का अनुपालन करते हुए प्रकटीकरण इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिया गया है।

कंपनी के मामलों / परिचालनों की स्थिति

कंपनी के विभिन्न व्यवसायिक खंडों के परिचालन के संबंध में विस्तृत सूचना और कंपनी के मामलों की स्थिति के संबंध में विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में शामिल है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

क्रेडिट रेटिंग

नीचे दी गई तालिका में कंपनी के क्रेडिट रेटिंग प्रोफ़ाइल को संक्षेप में दर्शाया गया है :

साधन	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
वाणिज्यिक पत्र (सीपी)	आईसीआरए लिमिटेड	आईसीआरए ए१+ (उच्चारित इक्रा ए वन प्लस)	–
लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी)	आईसीआरए लिमिटेड	अल्पावधि रेटिंग – आईसीआरऐं ए१+ (उच्चारित इक्रा ए वन प्लस)	–
		दिर्घावधि रेटिंग – आईसीआरऐं ए + (उच्चारित इक्रा ए प्लस)	नकारात्मक
नॉन-कंवर्टिबल डिबेन्चर्स	आईसीआरए लिमिटेड	आईसीआरऐं ए+ (उच्चारित इक्रा ए प्लस)	नकारात्मक

संबंधित पक्ष लेनदेन

अधिनियम और सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप, आपकी कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेनों के संबंध में नीति बनाई है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट www.bajajelectricals.com पर भी उपलब्ध है। इस नीति का अभिप्राय यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी और संबंधित पक्षों के बीच सभी लेन-देनों के लिए उचित प्रतिवेदन, अनुमोदन और प्रकटीकरण प्रक्रियाएँ विद्यमान हों।

समीक्षा और अनुमोदन के लिए सभी संबंधित पक्ष लेनदेनों को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। ऐसे लेन-देनों के लिए वार्षिक आधार पर संबंधित पक्ष लेन-देनों के लिए पूर्व प्रयोजनीय अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जो दोहराव वाली प्रकृति के होते हैं और/या व्यवसाय के सामान्य क्रम में दर्ज किए जाते हैं और हाथ भर की दूरी पर होते हैं। प्रयोजनीय अनुमोदन के अनुसार दर्ज किए गए लेन-देन वित्त विभाग द्वारा सत्यापित किए जाते हैं और सभी संबंधित पक्ष लेनदेनों का विवरण देने वाला विवरण तिमाही आधार पर समीक्षा और अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति और मंडल के समक्ष रखा गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के लिए संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेन-देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष वाणिज्यिक आधार पर थे। आपकी कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन, अर्थात अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार वार्षिक समेकित टर्नओवर के १०% से अधिक के लेनदेन नहीं किए गए थे। तदनुसार, फॉर्म एओसी-२ में अधिनियम की धारा १३४ (३) (एच) के अंतर्गत यथा आवश्यक संबंधित पक्ष लेनदेनों का प्रकटीकरण लागू नहीं होता है। पुनश्च, प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं था, जिनका समग्र रूप से कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता था। सभी संबंधित पक्ष लेनदेनों का लेखों की टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है।

आपके निदेशक स्वचलित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. ३८ की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं जो संबंधित पक्ष प्रकटीकरण का वर्णन करते हैं।

ऋणों और अग्रिमों, गारंटियों या निवेश के विवरण

इस अधिनियम के अनुच्छेद १८६ के अनुरूप, दिए गए ऋणों, किए गए निवेशों या दी गई गारंटियों या उपलब्ध करवाई गई प्रतिभूतियों के विवरण इस रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिए गए हैं।

ऋणों और अग्रिमों के विवरण, जिन्हें सूचीकरण विनियमों की अनुसूची त के साथ पठित विनियम ३४(३) के अनुरूप वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट करना अनिवार्य है, वे इस प्रकार हैं :

(राशि : ₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	श्रेणी	३१ मार्च २०१९ को शेष*	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया*
निर्लेप एप्लायन्सेस प्राइवेट लिमिटेड	सहायक कंपनी	१६.००	१६.००
हिंद लैम्प्स लिमिटेड	सहयोगी कंपनी	कुछ नही	कुछ नही
स्टारलाइट लाइटिंग लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	२.८०	२.८०

* व्यापार अग्रिमों को छोड़कर।

नियामक या न्यायालयों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण आदेश

नियामक/ न्यायालयों / न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया ऐसा कोई महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण आदेश नहीं है, जो कंपनी की मौजूदा सक्रिय स्थिति को और उसके गतिविधि को भविष्य में प्रभावित कर सकता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") पर नीति विद्यमान है और कंपनी ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियाँ कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत एक सीएसआर समिति का गठन किया है। इस समिति की संरचना और अन्य विवरण कॉर्पो रेट प्रशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

कंपनी ने सीधे और/या कार्यान्वित करने वाले सहभागियों के माध्यम से विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है और कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची तखख के अनुसार परियोजनाएँ आरंभ की हैं।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, २०१४ के अंतर्गत यथा आवश्यक सीएसआर गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक ए में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सूचीबद्धता विनियमों का विनिमय ३४(२), अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान करता है कि बाजार पूँजीकरण (प्रत्येक वित्त वर्ष के ३१ मार्च को की गई गणना के अनुसार) के आधार पर शीर्ष ५०० सूचीबद्ध इकाइयों की वार्षिक रिपोर्ट में व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट ("बीआरआर") शामिल होगी।

आपकी कंपनी ने, ऐसी शीर्ष ५०० सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक होने के नाते, वार्षिक रिपोर्ट के भाग रूप में, बीआरआर को शामिल किया है जो पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन के परिप्रेक्ष्य से उठाए गए कदमों का वर्णन करता है।

हरित पहल के रूप में, वित्त वर्ष २०१८-१९ के लिए बीआरआर कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर होस्ट किया गया है। बीआरआर की प्रति प्राप्त करने में रुचि रखने वाले किसी भी सदस्य द्वारा कंपनी सचिव से पत्राचार किया जा सकता है।

कॉर्पोरेट प्रशासन

कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानक बनाए रखना आपकी कंपनी के व्यवसाय का इसकी शुरूआत से ही मूल सिद्धांत रहा है। सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची त के साथ पठित नियम ३४ (३) के अनुसार, अनुपालन की पुष्टि करने वाला कंपनी के लेखा परीक्षकों से प्रमाण-पत्र के साथ कंपनी द्वारा अनुसरित कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं पर एक अलग अनुभाग इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सूचीबद्धता विनियमों के संदर्भ में, अन्य बातों के साथ, वित्तीय विवरणों और रोकड़ प्रवाह विवरणों की शुद्धता, आंतरिक नियंत्रण उपायों की पर्याप्तता और लेखा परीक्षा समिति को मामलों की सूचना की पुष्टि करने वाला कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तिय अधिकारी का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है।

वार्षिक विवरण का उद्धरण

समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम १२ के साथ पठित अधिनियम की धारा ९२ (३) के प्रावधानों के अनुसार, फॉर्म एमजीटी-९ में वार्षिक विवरण का उद्धरण अनुलग्नक बी में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है। और यह कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर भी उपलब्ध है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सूचीबद्धता आवश्यकताओं के अंतर्गत यथा आवश्यक कंपनी के परिचालनों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट एक अलग अनुभाग में प्रदान किया गया है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

व्हिसल ब्लोअर नीति और चौकसी तंत्र

वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की सूचना देने और ऐसे व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करने के लिए कंपनी की व्हिसिल ब्लोअर नीति है जो ऐसे तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। व्हिसिल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर डाली गई है।

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

कंपनी ने कर्मचारियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के साथ-साथ प्रतिभा को आकर्षित करने और टिकाए रखने के उपाय के तौर पर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, २०१४ ('सेबी एसबीइबी विनियम') के अनुपालन में कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना ("ईएसओपी योजना") कार्यान्वित की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ईएसओपी योजना में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ है और ईएसओपी योजना सेबी एसबीईबी विनियमों के अनुसार हैं।

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के दौरान, पात्र कर्मचारियों को ग्रांट की तिथि को एनएसई पर तत्कालीन मार्केट कीमत पर ४६७५०० स्टॉक विकल्प प्रदान किए गए थे। ईएसओपी योजना के अंतर्गत जारी किए गए शेयरों के विवरण, साथ ही सेबी एसबीईबी विनियमों का अनुपालन करते हुए प्रकटीकरण भी, कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर अपलोड किए गए हैं। किसी भी कर्मचारी को वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ग्रांट के समय जारी पूंजी के १% के समान या इससे अधिक के स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए गए हैं। स्टॉक विकल्पों का प्रयोग करने के अनुसार इक्विटी शेयरों को जारी करना कंपनी के लाभ एवं हानि खाते को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि इसका प्रयोग स्वीकृति की तारीख पर प्रचलित मार्केट मूल्य के साथ-साथ लागू करों पर किया जाता है।

यह प्रमाणित करने वाला कंपनी के लेखा परीक्षकों से प्रमाणपत्र कि ईएसओपी योजना सेबी एसबीईबी विनियमों के अनुसार लागू की गई है और शेयरधारकों द्वारा पारित प्रस्ताव सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए एजीएम में रखे जाएँगे।

निर्लेप एप्लायन्सेस प्राइवेट लिमिटेड की अंशधारिता का अधिग्रहण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ ३८.४५ करोड़ के कुल नकद राशि से दो भागों में निर्लेप की संपूर्ण अंशधारिता के अधिग्रहण के लिए निर्लेप एप्लायन्सेस प्राइवेट लिमिटेड ('निर्लेप') और उसके अंशधारकों के साथ शेयर खरीद और शेयरधारक समझौता ('एसपीएसएचए') किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एसपीएसएचए के संदर्भ में, कंपनी ने भाग एक में ₹ ३०.७० करोड़ की नकद राशि से निर्लेप की इक्विटी अंश पूँजी का ७९.८५% अधिग्रहित किया है। इस अधिग्रहण के बाद, निर्लेप कंपनी की सहायक कंपनी बन गई है। कंपनी के पास क्रय विकल्प का प्रयोग करने और शेष राशि से शेष इक्विटी अंशों को अधिग्रहित करने का अधिकार है।

१९६८ में आरंभ निर्लेप भारत में नॉन-स्टिक तकनीक की अग्रदूत रही है, और आज नॉन-स्टिक कुकवेयर का पर्याय बन चुकी ब्रांड है। नॉन-स्टिक कोटेड कुकवेयर पेश करने वाली पहली कंपनी होने के अलावा, निर्लेप के खाते में कई पहलकदमी की उपलब्धियाँ दर्ज हैं जैसे कि निर्लेप यूरोप में व्यवसायिक नॉनस्टिक कुकवेयर निर्यात करने वाली पहली, भारत में इंडक्शन कंपैटिबल नॉनस्टिक कुकवेयर का निर्माण करने वाली पहली और भारत में पूरी तरह से स्वचलित नॉनस्टिक कुकवेयर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने वाली पहली कंपनी है।

निर्लेप का अधिग्रहण उत्पादों का वह पोर्टफोलियो उपलब्ध कराएगा जो कंपनी की पेशकशों का पूरक होंगे और यह एक परिपूर्ण समन्वित मिश्रण होगा।

सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी :

सहायक कंपनी /सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों का विवरण :

कंपनी का नाम	३१ मार्च २०१९ के अनुसार कंपनी की % हिस्सेदारी	स्थिति
निर्लेप एप्लायन्सेस प्रा. लिमिटेड ("निर्लेप")	७९.८५	सहायक कंपनी
स्टारलाइट लाइटिंग लिमिटेड ("स्टारलाइट")	४७.००	संयुक्त उद्यम
हिंद लैम्प्स लिमिटेड ("हिंद लैम्प्स")	१९.००	सहयोगी

सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगियों का प्रदर्शन

निर्लेप : वित्त वर्ष २०१८-१९ में निर्लेप का सकल राजस्व ₹ ४८.८३ करोड़ (गत वर्ष : ₹ ४४.९९ करोड़) था। वर्ष के दौरान नुकसान ₹ २१.९८ करोड़ (गत वर्ष : ₹ ८.८५ करोड़) था।

*** स्टारलाइट :** वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए स्टारलाइट का सकल राजस्व ₹ १३९.४६ करोड़ रहा (पिछले वर्ष : ₹ १६२.२९ करोड़)। इस वर्ष के लिए नुकसान ₹ ९७.५२ करोड़ था (पिछले वर्ष का नुकसान : ₹ १०९.८७ करोड़)*

*** हिंद लैम्प्स :** वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए हिंद लैम्प्स का सकल राजस्व ₹ ५७.७१ करोड़ रहा (पिछले वर्ष : ₹ ४२.१८ करोड़)। इस वर्ष के लिए नुकसान ₹ १२.५८ करोड़ था (पिछले वर्ष का नुकसान : ₹ ९.१७ करोड़)।

मंडल द्वारा यथा अनुमोदित मूर्त सहायक कंपनियों को निर्धारित करने की नीति तक कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर पहुँचा जा सकता है।

अधिनियम की धारा १२९ (३) के प्रावधानों के अनुसार, फार्म एओसी १ में सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं से युक्त विवरण इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक सी के रूप में संलग्न है।

अधिनियम की धारा १३६(१) के तीसरे परंतुक के अनुसार, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें कंपनी का निष्पक्ष और समेकित वित्तीय विवरण शामिल है, कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, उक्त धारा के चौथे परंतुक के अनुसार, कंपनी की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी के वार्षिक खाते भी कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने में रुचि रखने वाले किसी भी शेयरधारक द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव से पत्राचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उक्त दस्तावेज कंपनी के शेयरधारकों द्वारा परीक्षण के लिए शनिवार, रविवार, सार्वजनिक अवकाश और राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों के दौरान सुबह ११.०० बजे से दोपहर ०१.०० बजे के बीच उपलब्ध रहेंगे।

समेकित वित्तीय विवरण

निदेशक लेखा-परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें सहायक कंपनी, सहयोगी व संयुक्त उद्यमों के लेखा-परीक्षित/अलेखा-परीक्षित वित्तीय परीक्षण शामिल हैं जिन्हें अधिनियम के अनुपालन में तैयार किया गया है, जो विनिमय अनुसार लेखा मानक एवं सूचीकरण पर लागू हैं तथा इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

वित्तीय परिणामों का प्रस्तुतिकरण

३१ मार्च २०१९ को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय परिणाम अधिनियम की अनुसूची खखख के अनुसार प्रकट किए गए हैं।

कंपनी में हिंद लैम्प्स लिमिटेड के विनिर्माण कारोबार के डिमर्जर के लिए व्यवस्थापन की योजना

वर्ष के दौरान, कंपनी योजना आवेदन संख्या २०१८ के १०२७ के तहत् कंपनी द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ("माननीय एनसीएलटी") में दाखिल अधिनियम की धारा २३०-२३२ और के अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी में हिंद लैम्प्स लिमिटेड के विनिर्माण व्यवसाय के डिमर्जर हेतु प्रबन्धा योजना ("योजना") में माननीय एनसीएलटी ने, देखें इसका आदेश २ नवंबर २०१८, कंपनी के इक्विटी अंशधारकों, असुरक्षित लेनदारों और सुरक्षित लेनदारों की योजना हेतु उनकी मंजूरी लेने के लिए बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। तदनुसार, क्रमश: २१ फरवरी, २०१९, २२ फरवरी, २०१९ और १९ मार्च, २०१९ को इक्विटी अंशधारकों, असुरक्षित लेनदारों और सुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित की गई थी और उसमें इक्विटी अंशधारकों, असुरक्षित लेनदारों और सुरक्षित लेनदारों ने योजना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद, कंपनी ने २८ मार्च, २०१९ को माननीय एनसीएलटी में एक याचिका दाखिल की। लागू सांविधिक अधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने पर यह योजना अमल में लाई जाएगी।

निदेशकगण

बड़े दुख के साथ, हम १० अगस्त, २०१८ को अपने प्रबंध निदेशक, श्री अनंत बजाज के निधन की सूचना दे रहे हैं। उन्होंने कंपनी में अपने १९ वर्षों के करियर के दौरान कंपनी में महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई, जिसमें फरवरी २००६ से कं पनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल भी शामिल है। आपके निदेशकगण निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान मंडल को उनके मार्गदर्शन के लिए अपनी सर्वोच्च कृतज्ञता और सराहना व्यक्त करना चाहते हैं।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अनुशंसा के आधार पर निदेशक मंडल ने श्री अनुज पोद्दार को १ नवंबर, २०१८ से प्रभावी होने के साथ पाँच (५) वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी निदेशक पदनामित, कंपनी का पूर्णकालिक अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। पहले वह ४ अगस्त, २०१६ को आयोजित वार्षिक आम बैठक में अंशधारकों की मंजूरी से ३० मई, २०१६ से प्रभावी होने के साथ पाँच (५) वर्षों के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए थे। कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति का आदर करते हुए, उन्होंने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया।

अधिनियम की धारा १६१ के संदर्भ में, श्री अनुज पोद्दार आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करेंगे। कंपनी को निदेशक के पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित करने वाले सदस्य से लिखित में अपेक्षित सूचना मिली है। तदनुसार, १ नवंबर, २०१८ से प्रभावी होने के साथ पाँच (५) वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए अंशधारकों की भी मंजूरी माँगी जा रही है, जिसकी बोर्ड ने अनुशंसा की है। वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के नोटिस में श्री अनुज पोद्दार का संक्षिप्त प्रालेख दिया गया है।

श्रीमती पूजा बजाज को १ नवंबर, २०१८ से प्रभावी होने के साथ गैर-कार्यकारी निदेशक की श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है और आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक वह पद धारण करेंगी। आगामी वार्षिक आम बैठक में मंडल कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में, चक्रानुक्रम के अनुसार सेवानिवृत्ति के अधीन, उनकी नियुक्ति की अनुशंसा करता है। वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के नोटिस में श्रीमती पूजा बजाज का संक्षिप्त प्रालेख दिया गया है।

श्री मुनिश खेत्रपाल को १ नवंबर, २०१८ से प्रभावी होने के साथ गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक की श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है और आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक वह अपना पद धारण करेंगे। आगामी वार्षिक आम बैठक में मंडल कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में, चक्रानुक्रम के अनुसार सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं, उनकी नियुक्ति की अनुशंसा करता है। वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के नोटिस में श्री मुनिश खेत्रपाल का संक्षिप्त प्रालेख दिया गया है।

२६ मार्च, २०१९ को डाक मतपत्र द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा अंशधारकों की मंजूरी से श्री हर्ष वर्धन गोयंका, डॉ (श्रीमती) इन्दु शहानी और डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह को १ अप्रैल, २०१९ से प्रभावी होने के साथ पाँच वर्षों के लगातार दूसरे कार्यकाल यानी १ अप्रैल, २०१९ से ३१ मार्च, २०२४ तक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया था।

स्वतंत्र निदेशक, श्री अशोक जालान, जिन्होंने अन्य गतिविधियों में संलग्न होने के नाते ३१ मार्च, २०१९ को अपने पहले कार्यकाल की समाप्ति पर कंपनी के निदेशक पद से हटने की इच्छा व्यक्त की थी, अपने पहले कार्यकाल की समाप्ति पर कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य नहीं रहे हैं। जनवरी १९८९ में अपनी पहली नियुक्ति के बाद से वह ३० वर्षों तक मंडल के सदस्य रहे थे। आपके निदेशकगण निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री अशोक जालान द्वारा मंडल में दिए गए अत्यंत प्रभावशाली योगदान के लिए अपनी सर्वोच्च कृतज्ञता और सराहना व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री राजीव बजाज को बोर्ड द्वारा २२ मई, २०१९ से प्रभावी होने के साथ गैर-कार्यकारी निदेशक की श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है और आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक वह अपना पद धारण करेंगे। आगामी वार्षिक आम बैठक में मंडल कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में, चक्रानुक्रम के अनुसार सेवानिवृत्ति के अधीन, उनकी नियुक्ति की अनुशंसा करता है। वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के नोटिस में श्री राजीव बजाज का संक्षिप्त प्रालेख दिया गया है।

इस रिपोर्ट की तिथि को कंपनी के मंडल में दस (१०) निदेशक शामिल हैं जिनमें से दो (२) महिला निदेशक सहित आठ (८) गैर-कार्यकारी निदेशक (एनईडी) हैं। एनईडी कुल संख्या के ८०% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, उक्त आठ (८) एनईडी में से पांच (५) स्वतंत्र निदेशक हैं जो बोर्ड की कुल संख्या के ५०% का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंडल की संरचना सूचीबद्धता विनियमों के विनियम १७ और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

चक्रानुक्रम के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक

अधिनियम की धारा १५२ और कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक श्री मधुर बजाज आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम के अनुसार सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और पात्र होने के नाते उन्होने अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है। बोर्ड आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों के विचार के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा करता है। वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की नोटिस में श्री मधुर बजाज का संक्षिप्त प्रालेख दिया गया है।

स्वतंत्र निदेशक:

स्वतंत्र निदेशक पाँच वर्ष की निश्चित अवधि तक पद धारण करते हें और चक्रानुक्रम के अनुसार सेवानिवृती के अधीन नहीं होते हैं। कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे अधिनियम की धारा १४९ (६) और सूचीबद्धता विनियमनों के विनियम १६ (१) (बी) के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक, अधिनियम की धारा १४९ (६) और सूचीबद्धता विनियमनों के विनियम १६ (१) (बी) में निर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने यह भी पुष्टि की है कि उन्होंने कंपनी की व्यवसायिक आचरण और आचार संहिता का पालन किया है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर डाली गई हैं।

सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकता का पालन करते हुए, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए निदेशक के रूप में उनको अपनी भूमिका, अधिकारों और जिम्मेदारियों, कंपनी के कामकाज, उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी परिचालन करती है, व्यवसाय मॉडल, आदि से परिचित कराने के लिए परिचयकरण कार्यक्रम बना रखा है। कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में परिचयकरण कार्यक्रम के विवरण का वर्णन किया गया है और वही कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर भी उपलब्ध है।

मंडल की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष २०१८-१९ में आयोजित मंडल की बैठकों की संख्या का विवरण कॉर्पो रेट प्रशासन पर रिपोर्ट में प्रदान किया गया है। बैठकों के बीच का मध्यवर्ती अंतराल अधिनियम और सूचीकरण विनियमनों के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर था।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा २(५१) और अधिनियम के २०३ के प्रावधानों के अनुसार, मंडल ने कंपनी के केएमपी के रूप में श्री शेखर बजाज को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अनंत पुरंदरे को अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री मंगेश पाटिल को ईवीपी - कानूनी और कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी नामित किया है। समीक्षागत वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी केएमपी ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

मंडल की समितियाँ

निदेशक मंडल की निम्नलिखित समितियाँ हैं :

१. लेखा परीक्षा समिति

२. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

३. हितधारकों की संबंध समिति

४. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

५. जोखिम प्रबंधन समिति

६. वित्त समिति

७. ऋणपत्र (डिबेंचर) समिति

समितियों का विवरण, उनकी रचना, बैठकों की संख्या और बैठकों में उपस्थिति के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

मंडल का मूल्यांकन

अधिनियम के प्रावधानों और सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, मंडल का कामकाज, मंडल और उसकी समितियों की संरचना, संस्कृति, निष्पादन और विशिष्ट कर्तव्यों का प्रदर्शन, दायित्वों और प्रशासन के निष्पादन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन पूरा किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा अध्यक्ष और गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। निदेशक मंडल ने मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

कंपनी द्वारा जिस प्रकार से मूल्यांकन किया गया था वह कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में वर्णित किया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

नामकरण, पारिश्रमिक और मंडल की विविधता नीति

निदेशक मंडल ने कंपनी के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक के संबंध में एक रूपरेखा निर्धारित करने वाली नीति तैयार की है। यह नीति मोटे तौर पर कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों (बैठने के शुल्क और कमीशन के माध्यम से), प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान का मार्गदर्शक सिद्धांत, दर्शन और आधार निर्धारित करती है। यह नीति योग्यता, सकारात्मक गुणों और निदेशक की स्वतंत्रता का निर्धारण करने हेतु मानदंड और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों / वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति और प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु भी मानदंड प्रदान करती हैं। इस पर उम्मीदवारों का चयन करते समय नामांकन और पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जाता है। उपर्युक्त नीति कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर भी पोस्ट की गई है।

जोखिम और आंतरिक नियंत्रण पर्याप्तता

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ इसके व्यवसाय की प्रकृति और इसके परिचालनों के आकार और जटिलताओं के अनुरूप है। नियमित रूप से सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा इन्हें परीक्षित और प्रमाणित किया जाता है और इनके अंतर्गत सभी कार्यालय, कारखाने और प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र आते हैं तथा इन पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों और अनुवर्तन कार्यवाहियों की सूचना लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है। लेखा परीक्षा समिति कंपनी के आंतरिक नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है। लेखा परीक्षा अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है जिनमें और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रणालियों को मजबूत बनाने से संबंधित लेखा परीक्षा अनुशंसाएँ भी शामिल हैं।

वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे एवं वे प्रभावी रूप से परिचालित हुए।

सेक्रेटरियल मानकों का अनुपालन

कंपनी ने भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ द्वारा जारी किए गए लागू साचिविक मानकों का पालन किया है।

धोखाधड़ी की सूचना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई उदाहरण नहीं मिला है, जिसके लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को अधिनियम की धारा १४३ (१२) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति और/या मंडल को सूचना देना आवश्यक था।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है और यह सुनिश्चित करने के लिए मंडल को जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रियाओं और आवधिक समीक्षा के संबंध में सूचित करने के लिए तंत्र स्थापित किया है कि कार्यकारी प्रबंधन उचित ढंग से तैयार किए गए ढांचे के माध्यम से जोखिम नियंत्रित करे। इन पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई है जो रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

लेखा परीक्षक

वैधानिक लेखा परीक्षक

३ अगस्त, २०१७ को आयोजित कंपनी की ७८वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों ने पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए अर्थात २०२२ में आयोजित होने वाली कंपनी की ८३वीं वार्षिक आम सभा के समापन तक कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स एस आर बी सी एंड कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार (आईसीएआई पंजीकरण संख्या ३२४९८२ई/ई३०००३) की प्रति वर्ष अंशधारकों द्वारा उनकी नियुक्ति के अनुसमर्थन के अधीन नियुक्ति की थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा ७ मई, २०१८ को लागू किए गए कंपनी संशोधन अधिनियम, २०१७ के अनुसार, प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की पुष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी को मेसर्स एस आर बी सी एंड कंपनी एलएलपी से इस बात की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र मिला है कि वे कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक बने रहने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों द्वारा दिया गया प्रतिवेदन इस रिपोर्ट का भाग है। लेखा परीक्षकों द्वारा अपने प्रतिवेदन में दी गई कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं है।

लागत लेखा परीक्षक

अधिनियम के अनुच्छेद १४८, इसके अंतर्गत बने नियमों के साथ पठित, के अनुसार, कंपनी द्वारा इसकी उत्पादन गतिविधियों के संबंध में इसके द्वारा रखे गए लागत लेखा अभिलेख लेखा परीक्षित किए जाने के लिए आवश्यक हैं। मेसर्स आर. नानाभॉय एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. ००००१०) ने वर्ष के दौरान लागू व्यवसायों की लागत लेखा परीक्षा की है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिए मेसर्स आर. नानाभॉय एंड कंपनी, लागत लेखाकार, को लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार, लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक आम सभा में सदस्यों के समक्ष उनके सुधार हेतु रखना आवश्यक है। तदनुसार, मेसर्स. आर. नानाभॉय एंड कंपनी, लागत लेखा परीक्षक के देय पारिश्रमिक के लिए सदस्यों की संपुष्टि की माँग करने वाले एक प्रस्ताव को वार्षिक आम सभा के नोटिस में आइटम संख्या १० पर शामिल किया गया है।

लागत लेखा परीक्षक के विवरण तथा वित्त वर्ष २०१७-१८ में उनके द्वारा संचालित लागत लेखा परीक्षा के पूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं :

आईसीडब्ल्यूए सदस्यता सं.	७४६४
फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. :	००००१०
पता:	जेर मेंशन, ७०, अगस्त क्रांति मार्ग, मुंबई - ४०० ०३६
लागत परीक्षा रिपोर्ट	वित्त वर्ष २०१७-१८
रिपोर्ट दर्ज करने की नियत तिथि	३० सितंबर २०१८
दर्ज करने की वास्तविक तिथि	०७ सितंबर २०१८

साचिविक लेखा परीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, २०१४ के नियम ९ के साथ पठित धारा २०४ के प्रावधानों और उसमें संशोधनों के अनुसार कंपनी ने ३१ मार्च, २०१९ को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स अनंत बी. खमनकर एंड कंपनी, व्यवसायिक कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस ३१९८; सीपी सं. १८६०) की सेवाएँ ली थीं। साचिविक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन फॉर्म एमआर-३ में अनुलग्नक डी में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरण

अ) आईईपीएफ में अदत्त/दावारहित लाभांश का अंतरण :

जैसा कि अधिनियम की धारा १२४ के अंतर्गत आवश्यक है और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, २०१६ / निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (निवेशकों की जागरूकता और संरक्षण) नियम, २००१ के प्रावधानों के संदर्भ में ३१ मार्च, २०११ को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित अदत्त/दावारहित लाभांश का ₹ १३,४३,६३३/- वर्ष के दौरान आईईपीएफ में अंतरित किया गया है।

ब) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकारी (आईईपीएफए) में शेयरों का हस्तांतरण :

जैसा कि अधिनियम की धारा १२४ के अंतर्गत आवश्यक है, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ₹ २/- प्रत्येक अंकित मूल्य के ८३३६ इक्विटी शेयर आईईपीएफए में हस्तांतरित किए गए हैं जिनके संबंध में सदस्यों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय से लाभांश का दावा नहीं किया गया था। हस्तांतरित किए गए शेयरों का विवरण आईईपीएफ और साथ ही कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का अर्जन व व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, २०१४ के नियम ८ के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद १३४(३)(एम) के अंतर्गत व्यक्त ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का अर्जन व व्यय को इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'इ' के रूप में जोड़ा गया है।

मानव संसाधन तथा औधोगिक संबंध

आपकी कंपनी को अपने कारोबार के सभी क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, सक्षमता और समर्पण पर गर्व है। कंपनी लोगों को अपनी सबसे बड़ी परिसंपत्ति मानती है और इसलिए, प्रतिभा प्रबंधन और उत्तराधिकार नियोजन प्रथाओं, मजबूत निष्पादन प्रबंधन और अधिगम और प्रशिक्षण पहलों में यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रयास किया है कि कंपनी निरंतर प्रेरणादायक, मजबूत और विश्वसनीय नेतृत्व विकसित करे। अपने लोगों के कौशल और नेतृत्व विकास में निरंतर निवेश के अतिरिक्त, इस वर्ष आपकी कंपनी ने कर्मचारी संलग्नता पहलों और अभियानों पर भी ध्यान केंद्रित किया है जिसका उद्देश्य श्रमबल के सभी स्तरों पर नवाचार और सहयोग की संस्कृति बढ़ाना है। इन पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

कंपनी के अपने कर्मचारियों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं।

पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा

कंपनी पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ और सुरक्षित परिचालन के महत्व को लेकर सजग है। कंपनी की नीति इस प्रकार से परिचालन आवश्यक बनाती है कि सभी संबंधितों की सुरक्षा, पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए, कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति बनाई और कार्यान्वित की है। स्थाई, अस्थाई या संविदात्मक सभी महिला कर्मचारी उपर्युक्त नीति के अंतर्गत आवरित हैं। उक्त नीति सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए कंपनी के आंतरिक पोर्टल पर अपलोड की गई है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। उक्त अधिनियम का पालन करते हुए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है। वित्त वर्ष २०१८-१९ में कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

कर्मचारियों का विवरण

अधिनियम की धारा १३६ के पहले परंतुक के संदर्भ में, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, २०१४ के नियम ५ (२) और (३) के अंतर्गत आवश्यक जानकारी को छोड़कर शेयरधारकों को रिपोर्ट और लेखा भेजा जा रहा है। इसकी प्राप्ति में रूचि रखने वाले किसी भी शेयरधारक द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर कंपनी सचिव को लिखा जा सकता है। उक्त जानकारी ८०वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि तक, कंपनी के किसी भी कार्य दिवस पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

कंपनी(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, २०१४ के नियम ५ (१) के साथ पठित अधिनियम की धारा १९७ (१२) के प्रावधानों के अंतर्गत यथा आवश्यक जानकारी युक्त विवरण अनुलग्नक एफ में दिया गया है और इस रिपोर्ट का भाग है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य

आपके निदेशक यह पुष्टी करते हैं कि :

(क) ३१ मार्च, २०१९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है, जिनमें सामग्री निर्गमन, यदि कोई हो, से संबंधित उपयुक्त वर्णन शामिल है।

(ख) उन्होंने ऐसी लेखा नीतियाँ चुनी हैं और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय एवं आकलन किए हैं, जो उपयुक्त एवं विवेकपूर्ण हों, जिससे वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभों का एक सत्यतापूर्ण एवं उचित दृष्टिकोण मिल सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की पहचान व रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के प्रबंधन हेतु समुचित एवं पर्याप्त रूप से ध्यान दिया है;

(घ) उन्होंने वार्षिक लेखा एक "गोइंग कंसर्न" आधार पर तैयार किए हैं;

(च) उन्होंने कंपनी द्वारा पालन किए जाने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

(छ) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और कि इस तरह की प्रणालियाँ पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

हरित पहल

हरित पहल के अनुरूप बने रहने और नई हरित पहलों के सृजन के लिए इससे परे जाने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत, जिनका ई-मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत है उन सभी सदस्यों/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) को कंपनी की ८०वीं वार्षिक आम सभा की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति भेजी गई है। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया हैं, उन्हें अनुमत मोड के माध्यम से भौतिक प्रतियाँ भेजी गई हैं।

सराहना एवं आभार-पूर्ति

आपके निदेशक हर स्तर के कर्मचारियों की उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सराहना करते हैं, जिसके बिना आपकी कंपनी की उपलब्धियां संभव नहीं हुई होतीं।

बोर्ड आपकी कंपनी को आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों, व्यापारिक सहभागियों और व्यापारिक भागीदारों के रूप में कंपनी से जुड़े अन्य लोगों से मिले सहायता और सहयोग की सराहना करता है। आपकी कंपनी उन्हें अपनी प्रगति में सहभागी के रूप में देखती है और आपकी कंपनी ने उनके साथ विकास प्रतिफलों को साझा किया है। आपकी कंपनी का प्रयास होगा कि लाभों की पारस्परिकता, एक-दूसरे के लिए सम्मान और साथ सहयोग के आधार पर, उपभोक्ता हितों के अनुरूप व्यापार के साथ मजबूत कड़ी का निर्माण और पोषण किया जाए। आपके निदेशकगण सभी शेयरधारकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, बैंकों, सरकार और नियामकीय प्राधिकरणों और स्टॉक एक्स्चेंजों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहते हैं।

अनुलग्नक

निम्नलिखित अनुलग्नक इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं :

क. सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट - अनुलग्नक "ए"

ख. वार्षिक विवरण का उद्धरण - अनुलग्नक "बी"

ग. सहयोगियों / सहायक/ संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण - अनुलग्नक "सी";

घ. साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट - अनुलग्नक "डी";

च. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय पर रिपोर्ट - अनुलग्नक "इ"; तथा

छ. कंपनियां (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, २०१४ के नियम ५(१) के साथ पठित अधिनियम की धारा १९७(१२) के तहत निदेशकों, केएमपी और कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण- अनुलग्नक "एफ"

कृते तथा वास्ते निदेशक मंडल

शेखर बजाज
चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर
DIN : ०००८९३५८

अनुज पोद्दार
एक्ज़िक्युटिव डायरेक्टर
DIN : ०१९०८००९

अनंत पुरंदरे
प्रेसीडेंट व सीएफओ

मंगेश पाटिल
एक्ज़िक्युटिव वाइस प्रेसीडेंट - वैधानिक और कंपनी सचिव
FCS No. : ४७५२

मुंबई
२२ मे २०१९

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

निदेशकगण (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ ("सूचीबद्धता विनियम") सेबी की अनुसूची त के साथ पठित विनियम ३४ (३) के संदर्भ में ३१ मार्च, २०१९ को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी का रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

"व्यापार निर्धनों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से किया जाना चाहिए, न कि केवल करोड़पति या अरबपति बनने के लिए।"

जमनालाल बजाज

प्रशासन संहिता पर कंपनी का सिद्धान्त :

नैतिक मूल्य कंपनी के प्रशासन सिद्धान्त की नींव हैं जो कंपनी के पिछले ८० वर्षों के अस्तित्व में कंपनी की संस्कृति का एक हिस्सा बन गए हैं। हमें एक ऐसी कंपनी में होने पर गर्व है, जिसके दूरदृष्टा संस्थापक ने इसकी नींव बहुत समय पहले सुशासन के लिए रखी थी और इसे अपने व्यवसाय का एक अभिन्न हिस्सा बनाया था। हम दृढ़तासे मानते हैं कि व्यापार में आमदनी और मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ तो है। और इसीलिए हममें से प्रत्येक को हम जो भी करते हैं उसमें अपना बेहतरीन प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए ताकि, हम न केवल प्रत्येक उपभोक्ता की जरूरतें पूरी कर सकें बल्कि उनकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा अच्छा कर सकें। इसी ने हमें सबसे अलग स्थान दिलाया हुआ है और शायद यही एक वजह है कि हम अपने उपभोक्ताओं के साथ एक खास रिश्ते का आनंद लेने के योग्य बने हैं। क्यों न हो, जब आप हर साधन के साथ अपना बेहतरीन देने का प्रयास करते हैं, तो वह नज़र आता ही है।

कॉर्पोरेट प्रशासन मूल्यों एवं नैतिक व्यापारिक आचरण के प्रति कटिबद्धता के बारे में है । हमारे काम हमारे मूल्यों और सिद्धांतों से शासित होते हैं, जिसे कंपनी में सभी स्तरों पर सशक्त बनाया जाता है। हम चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसका मतलब यह है कि इस तरह से व्यवसायिक निर्णय लेना और काम करना जो कि नैतिकतापूर्ण हो और लागू कानूनों का पालन करते हुए हो।

निदेशक मंडल

प्रशासन संरचना

कंपनी की कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना इस प्रकार है :

निदेशक मंडल : मंडल को कंपनी के प्रबंधन, निर्देशन और कार्यप्रदर्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूँकि इसकी प्राथमिक भूमिका प्रकृति से न्यासीय है, इसलिए मंडल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कंपनी के प्रबंधन के लिए नेतृत्व, रणनीतिक मार्गदर्शन, उद्देश्य और स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन द्वारा नैतिकता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण का पालन किया जाए।

मंडल की समितियाँ : मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है, अर्थात, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति, हितधारकों की संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति। उक्त में से प्रत्येक समिति के लिए निश्चित ढांचे के भीतर काम करना अनिवार्य बनाया गया है।

कार्यकारी समिति : कार्यकारी समिति का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करते हुए मंडल द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों और ढाँचे के भीतर कंपनी के व्यवसायों का रणनीतिक प्रबंधन करना है कि महत्वपूर्ण मामलों पर मंडल को उपयुक्त सूचना देने के लिए प्रभावी प्रणालियाँ विद्यमान हों। कार्यकारी समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों के रूप में इसमें व्यवसायिक और कार्यात्मक प्रमुख हैं, जो कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन की देखभाल करते हैं।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक : अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की प्राथमिक भूमिका कंपनी द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में मंडल का नेतृत्व करना है। वह कंपनी को विश्व-स्तरीय संगठन में बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य बातों के साथ, वह मंडल के कामकाज के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि अन्य सभी प्रासंगिक मुद्दों को मंडल के समक्ष रखा जाए और सभी निदेशकों को मंडल की बैठकों में उठाए गए प्रासंगिक मुद्दों पर अपना विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वे निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों के साथ कंपनी की रणनीति भी तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं।

कार्यकारी निदेशक : मंडल और कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में, कार्यकारी निदेशक द्वारा मंडल अनुमोदित दिशानिर्देशों और ढांचे के भीतर कंपनी के व्यवसायों के रणनीतिक प्रबंधन में योगदान दिया जाता है। वह व्यवसाय के रणनीतिक प्रबंधन और कंपनी के कार्यों की समग्र जिम्मेदारी लेते हैं जिसमें कंपनी की प्रशासन प्रक्रियाएँ और शीर्ष प्रबंधन की प्रभावशीलता शामिल है।

स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) सहित गैर-कार्यकारी निदेशक (एनईडी) : एनईडी मंडल की बैठकों में उठाए गए विभिन्न मुद्दों जैसे कि व्यवसाय रणनीतियों के निर्माण, प्रदर्शनों की निगरानी, आदि पर स्वतंत्र निर्णय प्रदान करके मंडल का कामकाज संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निदेशकगण की संरचना और श्रेणी

मंडल व्यापक आधार वाला है और इसमें औद्योगिक, सामान्य कंपनी प्रबंधन, वित्त, कानून, मीडिया, कॉर्पोरेट रणनीति, तकनीकी, विपणन और अन्य संबद्ध पृष्ठभूमि के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। वरिष्ठ प्रबंधन टीम के साथ समन्वय करते हुए निदेशक मंडल द्वारा कंपनी का प्रबंध किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मंडल की संरचना और सदस्य संख्या की समीक्षा की जाती है कि मंडल सांविधिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ पंक्तिबद्ध बना रहे।

३१ मार्च २०१९ के अंत में निदेशक मंडल में दस (१०) निदेशक शामिल थे, अर्थात एक (१) कार्यकारी निदेशक - प्रवर्तक, एक (१) कार्यकारी निदेशक - गैर प्रवर्तक, दो (२) एनईडी - एक महिला निदेशक सहित प्रवर्तक, एक (१)एनईडी - गैर प्रवर्तक स्वतंत्र महिला निदेशक, और पाँच (५) एनईडी- स्वतंत्र निदेशक।

श्री अशोक जालान, आईडी, अन्य गतिविधियों में संलग्न होने के नाते ३१ मार्च, २०१९ को अपने पहले कार्यकाल की समाप्ति पर कंपनी के निदेशक पद से हट गए।

श्री राजीव बजाज को मंडल द्वारा २२ मई, २०१९ से प्रभावी होने के साथ एनईडी की श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। वार्षिक आम सभा (एजीएम) की नोटिस की मद संख्या ६ में शामिल उनके नियमितीकरण के प्रस्ताव पर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया।

तदनुसार, इस रिपोर्ट की तिथि को, निदेशक मंडल में दस (१०) निदेशक शामिल हैं और उनकी निम्नलिखित संरचना है :

निदेशकों की श्रेणी	निदेशकों की संख्या	%
एनईडी – गैर-स्वतंत्र	३	३०%
एनईडी – स्वतंत्र	५	५०%
कार्यकारी निदेशक	२	२०%

मंडल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एक कार्यकारी निदेशक होता है। आईडी मंडल की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हैं।

श्री शेखर बजाज, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री मधुर बजाज, निदेशक, श्रीमती पूजा बजाज और श्री राजीव बजाज, चूँकि प्रवर्तक परिवार से संबंध रखते हैं इसलिए एक-दूसरे के संबंधी हैं। श्री शेखर बजाज श्रीमती पूजा बजाज के ससुर; श्री मधुर बजाज के बड़े भाई और श्री राजीव बजाज के चाचा हैं। वह सहयोगी कंपनी हिंद लैम्प्स लिमिटेड और कंपनी के संयुक्त उद्यम, स्टारलाइट लाइटिंग लिमिटेड में भी एनईडी हैं।

उपरोक्त के अलावा, और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति और पारिश्रमिक के अलावा जिसके लिए कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") के अंतर्गत एनईडी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अधिकारी हैं, किसी भी निदेशक का कंपनी, इसकी सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम और उनके प्रवर्तकों, निदेशकों के साथ कोई अन्य आर्थिक संबंध नहीं है, जो उनके निर्णय में उनकी स्वतंत्रता प्रभावित करे।

मंडल ने अपने व्यवसाय और उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कौशल की पहचान की है जो मंडल के पास उपलब्ध हैं :

निदेशक का नाम	विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता
शेखर बजाज	उद्योगपति, विद्युत उपभोक्ता टिकाऊ उद्योग क्षेत्र, व्यवसाय रणनीति और कॉर्पोरेट प्रबंधन
मधुर बजाज	उद्योगपति, बड़े औद्योगिक समूह का प्रबंधन करने का अनुभव
हर्ष वर्धन गोयंका	उद्योगपति, बड़े व्यवसाय समूह का प्रबंधन करने का अनुभव
डॉ राजेंद्र प्रसाद सिंह	पॉवर क्षेत्र में नवरत्न पीएसयू के पूर्व अध्यक्ष
डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी	सुविदित शिक्षाविद
अनुज पोद्दार	उपभोक्ता और अन्य उद्योगों, व्यवसाय रणनीति और कॉर्पोरेट प्रबंधन में मजबूत व्यवसायिक अनुभव वाले सनदी लेखाकार
सिद्धार्थ मेहता	कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानूनों, मुकदमेबाजी और मध्यस्थता में भारत भर में और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अधिवक्ता
मुनीश खेत्रपाल	वैश्विक बाजारों में व्यापक नेतृत्व अनुभव रखने वाले प्रौद्योगिकी व्यवसायिक
पूजा बजाज	मजबूत वाणिज्यिक कुशाग्रता
राजीव बजाज	उद्योगपति, बड़े औद्योगिक समूह का प्रबंधन करने में अनुभव, कई प्रतिष्ठित नेतृत्व पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता

सभी निदेशकों की निदेशकता, समिति की सदस्यता (सदस्यताओं) / अध्यक्षता (अध्यक्षताओं) की संख्या अधिनियम और सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत निर्धारित संबंधित सीमा के भीतर है।

निदेशकों की निदेशकता / समिति की सदस्यता

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम २६ के अनुसार, कोई भी निदेशक १० से अधिक समितियों का सदस्य नहीं हैं, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ और अधिनियम की धारा ८ के अंतर्गत आने वाली कंपनियाँ शामिल नहीं हैं या सभी सूचीबद्ध संस्थाओं में ५ से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता हैं, जिसमें वह निदेशक है। लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति पर केवल सीमाओं की गणना में विचार किया जाता है। पुनश्च, सभी निदेशकों ने अपने पदों में किसी भी बदलाव सहित अपने निदेशकता, समिति की सदस्यता/अध्यक्षता के बारे में सूचित किया है। ३१ मार्च, २०१९ को निदेशक मंडल की प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई है :

३१ मार्च, २०१९ को निदेशकता / समिति की सदस्यता

नाम डीआईएनें	नियुक्ति की तिथि	निदेशक की श्रेणी	अन्य भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकता (कंपनी को छोड़कर)	मंडल समितियों की संख्या जिसमें अध्यक्ष/ सदस्य हैं (कंपनी को छोड़कर)		अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में धारित निदेशकता और निदेशक की श्रेणी की सूची
				अध्यक्ष	सदस्य	
शेखर बजाज [०००८९३५८]	०१/११/२०१४	प्रमोटर/चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर	२	कुछ नहीं	१	१. हरक्यूलिस होइस्ट्स लिमिटेड, एनईडी–गैर–स्वतंत्र–अध्यक्ष २. बजाज ऑटो लिमिटेड, एनईडी–गैर–स्वतंत्र
मधुर बजाज [०००१४५९३]	२८/११/१९९४	प्रमोटर/एनईडी	५	कुछ नहीं	कुछ नहीं	१. बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एनईडी–गैर–स्वतंत्र २. महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड, एनईडी–प्रव–र्तक–अध्यक्ष के नामिति ३. बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एनईडी–गैर–स्वतंत्र ४. बजाज फिनसर्व लिमिटेड, एनईडी–गैर स्वतंत्र ५. बजाज ऑटो लिमिटेड, एनईडी–गैर–स्वतंत्र
हर्ष वर्धन गोयंका [०००२६७२६]	०१/०४/२०१९	स्वतंत्र निदेशक	४	कुछ नहीं	कुछ नहीं	१. आरपीजी लाइफ साइंसेस लिमिटेड, एनईडी–गैर–स्वतंत्र–अध्यक्ष २. सीएट लिमिटेड, एनईडी–गैर–स्वतंत्र–अध्यक्ष ३. केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, एनईडी–गैर–स्वतंत्र–अध्यक्ष ४. ज़ेन्सर टेक्नोलॉजीस लिमिटेड, एनईडी–गैर–स्वतंत्र–अध्यक्ष
डॉ.राजेंद्र प्रसाद सिंह [००००४८१२]	०१/०४/२०१९	स्वतंत्र निदेशक	१	कुछ नहीं	४	१. टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, एनईडी–गैर–स्वतंत्र
डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी [००११२२८९]	०१/०४/२०१९	स्वतंत्र निदेशक	३	१	५	१. युनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, एनईडी–स्वतंत्र २. क्लैरिएंट केमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, एनईडी–स्वतंत्र ३. कोलगेट–पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड, एनईडी–स्वतंत्र
अनुज पोद्दार [०१९०८००९]	०१/११/२०१८	अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सिद्धार्थ मेहता [०३०७२३५२]	३०/०५/२०१६	स्वतंत्र निदेशक	२	१	२	१. इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, एनईडी–स्वतंत्र २. टीसीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, एनईडी– स्वतंत्र
मुनीश खेत्रपाल[१] [०८२६३२८२]	०१/११/२०१८	अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पूजा बजाज[१] [०८२५४४५५]	०१/११/२०१८	अतिरिक्त प्रमोटर/ एनईडी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

टिप्पणियाँ :

१. *श्री मुनीश खेत्रपाल और श्रीमती पूजा बजाज को १ नवंबर, २०१८ से प्रभावी होने के साथ कंपनी के मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।*

२. *संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री अनंत बजाज १० अगस्त, २०१८ को निधन के चलते निदेशक नहीं रहे हैं, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया गया है।*

३. *श्री अशोक जालान, ३१ मार्च, २०१९ को आईडी के रूप में अपने पहले कार्यकाल की समाप्ति पर निदेशक नहीं रहे हैं, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया गया है।*

४. *निदेशकता में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ और धारा ८ की कंपनियाँ शामिल नहीं है।*

५. *समिति की सदस्यता में कंपनी से भिन्न अन्य भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति शामिल हैं। कंपनी के मंडल के सदस्यों के पास दस बोर्ड स्तरीय समितियों की सदस्यता या पाँच से अधिक ऐसी समितियों की अध्यक्षता नहीं है।*

६. *श्री शेखर बजाज, श्री मधुर बजाज और श्रीमती पूजा बजाज एक-दूसरे के संबंधी हैं। कोई भी अन्य निदेशक आपस में संबंधी नहीं है।*

७. *सेवानिवृत्त होने वाले या नियुक्त/पुनः नियुक्त किए जाने वाले निदेशक (निदेशकों) का/के विवरण एजीएम की नोटिस में दिया गया है/दिए गए हैं।*

८. *उपरोक्त में से प्रत्येक निदेशक का संक्षिप्त प्रालेख कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर उपलब्ध है।*

९. *आईडी का अधिकतम कार्यकाल अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार है।*

मंडल द्वारा आईडी की पुष्टि

सभी आईडी ने घोषणा की है कि वे अधिनियम की धारा १४९ (६) और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम १६ (१) (बी) के अंतर्गत यथा निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। मंडल की राय में, आईडी, अधिनियम की धारा १४९ (६) और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम १६ (१) (बी) में निर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तें पूरी करते हैं। जैसा कि अधिनियम में प्रावधान किया गया है, आईडी को औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किया गया है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.bajajelectricals.com पर प्रकटीकरण किया गया है।

स्वतंत्र निदेशकों की संख्या

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम १७ए के अनुसार, कंपनी के आईडी सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में आईडी के रूप में काम नहीं करते हैं। इसके अलावा, कंपनी के प्रबंध निदेशक किसी भी सूचीबद्ध संस्था में आईडी के रूप में काम नहीं करते हैं।

मंडल की बैठकें

मंडल व्यवसाय की रणनीतियों/नीतियों पर चर्चा करने और निर्णय लेने और कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करता है। मंडल की बैठकें पूर्व निर्धारित होती हैं और मंडल की बैठकों का अस्थाई वार्षिक कैलेंडर अग्रिम में निदेशकों को भेजा जाता है ताकि तदनुसार उन्हें अपने कार्यक्रम की योजना बनाने में सुविधा मिल सके। व्यवसायिक अनिवार्यताओं की स्थिति में, संचलन प्रस्तावों के माध्यम से मंडल की स्वीकृति ली जाती है। संचलन प्रस्तावों पर अनुवर्ती मंडल की बैठक में चर्चा की जाती है।

नोटिस और प्रासंगिक टिप्पणियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही विस्तृत कार्यसूची अग्रिम में प्रत्येक निदेशक को भेजी जाती है और असाधारण मामलों में मंडल की स्वीकृति से बैठक में रखी जाती है। इससे मंडल द्वारा समय पर और सूचित निर्णय सुनिश्चित होता है। मंडल बजट/लक्ष्यों की तुलना में कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करता है।

प्रति वर्ष न्यूनतम चार पूर्व-निर्धारित मंडल की बैठकें (प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में एक बैठक) होती हैं। कंपनी की विशिष्ट जरूरतों, यदि कोई है, को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं। वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान, निदेशक मंडल ने सात बार यानी २३ मई, २०१८, १५ जून, २०१८, ९ अगस्त, २०१८, १ नवंबर, २०१८, २ जनवरी, २०१९, ७ फरवरी, २०१९ और २८ मार्च, २०१९ को बैठक की थी। किन्हीं भी दो लगातार बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल एक सौ बीस दिन से कम था, जैसा कि अधिनियम की धारा १७३ (१) और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम १७ (२) और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा सांचिविक मानक के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

मंडल की बैठकों और अंतिम एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति।

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	उपस्थित मंडल की बैठकों की संख्या	९ अगस्त, २०१८ को आयोजित एजीएम में उपस्थिति
१.	शेखर बजाज	७ में से ७	उपस्थित
२.	अनंत बजाज[१]	७ में से ३	उपस्थित
३.	मधुर बजाज	७ में से ७	उपस्थित
४.	हर्ष वर्धन गोयंका	७ में से ६	उपस्थित
५.	अशोक जालान[२]	७ में से ७	उपस्थित
६.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह	७ में से ७	उपस्थित
७.	डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी	७ में से ७	उपस्थित
८.	अनुज पोद्दार	७ में से ७	उपस्थित
९.	सिद्धार्थ मेहता	७ में से ७	उपस्थित
१०.	मुनीश खेत्रपाल[३]	७ में से ४	लागू नहीं
११.	पूजा बजाज[३]	७ में से ४	लागू नहीं

टिप्पणियाँ :

१. *श्री अनंत बजाज, प्रबंध निदेशक की निदेशकता को १० अगस्त, २०१८ को उनकी मृत्यु होने पर समाप्त कर दिया गया है।*

२. *अन्य गतिविधियों में संलग्न होने के नाते आईडी, श्री अशोक जालान ३१ मार्च, २०१९ को अपने पहले कार्यकाल की समाप्ति पर कंपनी की निदेशकता से हट गए।*

३. *१ नवंबर, २०१८ को श्री मुनीश खेत्रपाल और श्रीमती पूजा बजाज को कंपनी के मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया।*

मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी

कंपनी मंडल और मंडल की समितियों को लागू और प्रासंगिक सीमा तक सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची खख के भाग ए के साथ पठित विनियम १७ में यथा निर्धारित जानकारी प्रदान करती है। ऐसी जानकारी या तो संबंधित बैठकों से पहले अग्रिम में कार्यसूची के भाग के रूप में या बैठकों के दौरान प्रस्तुतियों और चर्चाओं के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है।

बैठक पश्चात तंत्र

मंडल/समिति की बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय संबंधित विभाग/प्रभाग को सूचित किए जाते हैं।

मंडल की सहायता

कंपनी सचिव मंडल की बैठकों में भाग लेते हैं और लागू कानूनों और नियंत्रणों के अनुपालन पर मंडल को सलाह देते हैं।

मंडल की भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य

निदेशक मंडल के कर्तव्यों का सूचीबद्धता विनियमों, अधिनियम की धारा १६६ और अनुसूची खत (अनुसूची खत विशेष रूप से आईडी के लिए है) में उल्लेख किया गया है । निदेशक मंडल के बीच जिम्मेदारियों और प्राधिकार का स्पष्ट सीमांकन है।

निदेशकों के लिए परिचयकरण कार्यक्रम

निदेशकों की नियुक्ति के समय, उन्हें औपचारिक नियुक्ति पत्र दिया जाता है, जो अन्य बातों के साथ कंपनी के निदेशक के रूप में उनसे अपेक्षित भूमिकाओं, कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। अधिनियम, सूचीबद्धता विनियम और अन्य विभिन्न संविधियों के अंतर्गत निदेशकों से उनसे अपेक्षित अनुपालनों का भी विस्तार से वर्णन किया जाता है और पुष्टीकरण प्राप्त की जाती है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी कंपनी के परिचालनों से परिचित कराने के लिए नव नियुक्त निदेशक के साथ आमने-सामने की चर्चा आयोजित करते हैं। इसके अलावा, चालू आधार पर मंडल/समिति की बैठक की कार्यसूची के भाग के रूप में, आईडी को नियमित रूप से विभिन्न मामलों पर प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं जिसमें अन्य बातों के साथ कंपनी और उसकी सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के परिचालन, औद्योगिक और नियामकीय अद्यतन जानकारी, रणनीति, वित्त, जोखिम प्रबंधन ढांचा, विभिन्न संविधियों के अंतर्गत आईडी की भूमिका, अधिकार, जिम्मेदारियाँ और अन्य प्रासंगिक मामले शामिल होते हैं। निदेशकों के लिए परिचयकरण कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट, अर्थात, www.bajajelectricals.com पर उपलब्ध है।

प्रशासन संहिताएँ

व्यवसाय आचरण संहिता और आचार नीति

कंपनी ने व्यवसाय आचरण संहिता और आचार नीति ("संहिता") अपनाई है। यह निदेशक मंडल और कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। निदेशक मंडल और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए इस संहिता के वार्षिक अनुपालन की पुष्टि करना आवश्यक है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का घोषणा-पत्र इस रिपोर्ट के अंत में रखा गया है। यह संहिता निदेशकों और कर्मचारियों से ईमानदारी से, निष्पक्षतापूर्वक, नैतिक रूप से और अखंडता के साथ कार्य करने, अपना आचरण व्यवसायिक, विनम्र और सम्मानजनक बनाए रखने की माँग करती है, यह संहिता कंपनी की वेबसाइट www.bajajelectricals.com पर प्रदर्शित है।

हितों के टकराव पर प्रकटीकरण

प्रत्येक निदेशक द्वारा वार्षिक आधार पर कंपनी को अध्यक्ष सहित अन्य कंपनियों में मंडल और समिति पदों के बारे में सूचित किया जाता है जिन पर वह असीन है और वर्ष के दौरान परिवर्तनों को सूचित किया जाता है। मंडल के सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितों के टकराव से बचते हैं। मंडल के सदस्य किसी भी चर्चा और लेनदेन में मतदान से अपने आपको प्रतिबंधित करते हैं जिनसे उनका संबंध या जिनमें उनका हित होता है।

इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता

कंपनी ने सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ ("पीआईटी विनियम") के अनुसार 'पदनामित व्यक्तियों द्वारा ("संहिता") व्यापार के नियमन, निगरानी और सूचना के लिए आंतरिक आचरण संहिता' अपनाई है।

यह संहिता प्रवर्तकों, प्रवर्तक समूह के सदस्यों, सभी निदेशकों और ऐसे पदनामित कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी कंपनी से संबंधित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच होने की उम्मीद होती है। कंपनी सचिव उक्त पीआईटी विनियमों के पालन की निगरानी हेतु अनुपालन अधिकारी होता है।

कंपनी ने पीआईटी विनियमों का अनुपालन करते हुए 'अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के उचित प्रकटीकरण के लिए आचरण और प्रक्रिया संहिता' भी तैयार की हैं। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट, अर्थात, www.bajajelectricals.com पर प्रदर्शित है। कंपनी ने यूपीएसआई के लीक होने के मामले में "जाँच-पड़ताल नीति" भी तैयार की है।

मंडल की समितियाँ

निदेशक मंडल ने विशिष्ट क्षेत्रों और गतिविधियों से पेश आने के लिए मंडल समितियों का गठन किया है जिनसे कंपनी संबंध रखती है और जिनके लिए सावधानीपूर्ण समीक्षा की आवश्यकता होती है। मंडल समितियों का गठन मंडल की स्वीकृति से किया जाता है और वे अपनी संबंधित सनदों के अंतर्गत कार्य करती हैं। दिन-प्रतिदिन के मामलों और कंपनी के प्रशासन के समग्र प्रबंधन में ये समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मंडल समितियाँ नियमित अंतराल पर बैठकें करती हैं और मंडल द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को संपादन करने के लिए आवश्यक कदम उठाती हैं। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त टिप्पणी करने के लिए मंडल के सामने रखा जाता है।

(क) लेखा परीक्षा समिति

संरचना

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन की प्रक्रिया और आंतरिक नियंत्रणों का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संरचना, गणपूर्ति, शक्तियाँ, भूमिकाएँ और कार्यक्षेत्र अधिनियम की धारा १७७ और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम १८ के प्रावधानों के अनुसार हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्व आईडी, श्री अनुज पोद्दार ने कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के मद्देनजर लेखा परीक्षा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। फलस्वरूप, कंपनी के मंडल ने देखें परिपत्र के माध्यम से पारित इसके प्रस्ताव दिनांकित १८ अक्टूबर, २०१८, ने समिति के सदस्य के रूप में श्री सिद्धार्थ मेहता को शामिल करके लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है । १ नवंबर, २०१८ को आयोजित अपनी बैठक में पुनर्गठित लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों ने श्री अशोक जालान को समिति का अध्यक्ष चुना।

अन्य गतिविधियों में संलग्न होने के नाते, कंपनी के मंडल में निदेशक पद से हटने की अपनी इच्छा व्यक्त करने वाले श्री अशोक जालान के स्थान पर ३१ मार्च २०१९ को व्यवसायिक घंटो के समाप्त होने पर कंपनी के आईडी के रूप में उनके पहले कार्यकाल की समाप्ति पर १ अप्रैल, २०१९ से प्रभावी होने के साथ लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह को शामिल करके बोर्ड ने २८ मार्च, २०१९ को आयोजित बैठक में लेखा परीक्षा समिति का फिर से पुनर्गठन किया है।

इस रिपोर्ट की तिथि को, लेखा परीक्षा समिति में ३ निदेशक : अध्यक्ष के रूप में डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी और इसके सदस्य के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह और श्री सिद्धार्थ मेहता शामिल थे। लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर हैं और वित्त, कराधान, अर्थशास्त्र, जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। यह समिति अपनी संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करती है जो इसका प्राधिकार, जिम्मेदारी और प्रतिवेदन कार्य परिभाषित करते हैं। कंपनी सचिव द्वारा लेखा परीक्षा समिति के संयोजक के रूप में कार्य किया जाता है।

बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पाँच बार बैठक हुई। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल १२० दिनों से अधिक का नहीं था। समिति की २३ मई, २०१८, ९ अगस्त, २०१८, १ नवंबर, २०१८, ७ फरवरी, २०१९ और २८ मार्च, २०१९ को बैठक हुई थी। सभी बैठकों में अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित थी। लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष ९ अगस्त, २०१८ को आयोजित कंपनी की अंतिम एजीएम में उपस्थित थे।

नीचे दी गई तालिका लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की उपस्थिति प्रदान करती है :

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	पद	श्रेणी	बैठकों में उपस्थिती की संख्या
१.	अनुज पोद्दार[१]	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	५ में से २
२.	अशोक जालान[२]	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	५ में से ५
३.	डॉ. इन्दु शहानी	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	५ में से ५
४.	सिद्धार्थ मेहता	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	५ में से ३
५	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह[३]	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं

टिप्पणियाँ :

१. *१८ अक्टूबर, २०१८ तक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष/सदस्य।*

२. *१ नवंबर, २०१८ से ३१ मार्च, २०१९ तक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष/सदस्य।*

३. *१ अप्रैल २०१९ से प्रभावी होने के साथ लेखा परीक्षा समिति के नियुक्त सदस्य ।*

लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तें और काय

लेखा परीक्षा समिति की सनद में सूचीबद्धता विनियमके हाल के संशोधनों के अनुरूप २८ मार्च, २०१९ को आयोजित मंडल की बैठक में संशोधन किया गया है। जैसा कि नीचे बताया गया है, लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ की संशोधित शर्तें सूचीबद्धता विनियम के विनियम १८ और अधिनियम की धारा १७७ में जो अधिदेशित है, उसके अनुरूप हैं।

संदर्भ की शर्तें :

१. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया की देख-रेख और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण;

२. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश;

३. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किन्हीं अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति;

४. निम्नलिखित के विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन के लिए मंडल को प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना :

   क. कंपनी अधिनियम, २०१३ के खंड १३४ के उप-खंड ३ की धारा (सी) के संदर्भ में मंडल के रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक के उत्तरदायित्व वक्तव्य में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले।

   ख. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण ।

   ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ।

   घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

   च. सूचीबद्धता और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।

   छ. किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण।

   ज. प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय।

५. वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से, असूचीबद्ध सहायक कपंनी (कंपनियों) द्वारा किए गए निवेशों सहित अनुमोदन के लिए मंडल को प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा;

६. इश्यू (पब्लिक इश्यू, राईट्स इश्यू, प्रीफरेन्शियल इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में बताए गए उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंडों का विवरण और सार्वजनिक या राइट इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली

निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना और मंडल को इस मामले में कदम उठाने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना;

७. लेखा परीक्षा की स्वतंत्रता और संपादन, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;

८. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या कोई अनुवर्ती संशोधन;

९. अंतर-कंपनी ऋण और निवेश की संवीक्षा;

१०. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहाँ भी यह आवश्यक हो;

११. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

१२. सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा;

१३. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की भर्ती और विभाग की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता सहित आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, यदि कोई है, की पर्याप्तता की समीक्षा, संरचना आच्छादन और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति की रिपोर्टिंग;

१४. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष की आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई;

१५. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा जिसमें संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या महत्वपूर्ण प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता है और मंडल को मामले की सूचना देना;

१६. लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा के साथ-साथ चिंता का कोई भी क्षेत्र पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा बाद की चर्चा;

१७. जमाकर्ताओं, ऋणपत्र धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में महत्वपूर्ण चूक के कारणों की जाँच-पड़ताल;

१८. व्हिसिल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा;

१९. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का मूल्यांकन करने के बाद सीएफओ (यानी, पूर्णकालिक वित्त निदेशक या वित्त प्रकार्य की अध्यक्षता करने वाले या उक्त प्रकार्य का निर्वहन करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति) की नियुक्ति की स्वीकृति;

२०. लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में उल्लेखित कोई अन्य कार्य करना।

२१. १ अप्रैल २०१९ को वर्तमान ऋणों/अग्रिमों/निवेशों सहित सहायक कंपनी (कंपनियों) में ऋणों, अग्रिमों या दोनों के उपयोग की समीक्षा, जो ₹१०० करोड़ या सहायक कंपनी के परिसंपत्ति आकार के १०% से अधिक न हो, जो भी कम हो।

लेखा परीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करती है :

१. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों के विश्लेषण की;

२. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेनों के विवरण (लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित अनुसार) की;

३. प्रबंधन पत्रों/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण दुर्बलताओं के पत्रों की;

४. आंतरिक नियंत्रण दुर्बलताओं से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की;

५. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति,पदच्युति और पारिश्रमिक की शर्तों की; तथा

६. विचलनों के विवरण की :

   अ. सूचीबद्धता विनियम ३२ (१) के संदर्भों में शेयर बाजार (बाजारों) को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी के रिपोर्ट, यदि लागू हो, सहित विचलन(नों) के त्रैमासिक विवरण की; तथा

   ब. सूचीबद्धता विनियम ३२ (७) के संदर्भों में प्रस्ताव-पत्र/विवरणिका/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों से भिन्न, उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त निधियों के वार्षिक विवरण की।

७. वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ के विनियम ९ के प्रावधानों के अनुपालन की और सत्यापित करती है कि आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही हैं।

आंतरिक नियंत्रण और नियंत्रण प्रक्रियाएँ

कंपनी अपनी आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं की मजबूती में निरंतर निवेश करती है। लेखा परीक्षा समिति वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के लिए विस्तृत लेखा परीक्षा योजना तैयार करती है। आंतरिक लेखा परीक्षकगण लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं और लेखा परीक्षा समिति को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करते हैं और भविष्य के लिए रोड मैप प्रदान करते हैं।

(ख) नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

संरचना

एनआरसी अपने चार्टर द्वारा नियंत्रित होता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्व आईडी, श्री अनुज पोद्दार ने कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के मद्देनजर एनआरसी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। फलस्वरूप, कंपनी के मंडल, देखें परिपत्र के माध्यम से पारित इसके प्रस्ताव दिनांकित १८ अक्टूबर, २०१८, ने समिति के सदस्य के रूप में श्री सिद्धार्थ मेहता को शामिल करके एनआरसी का पुनर्गठन किया। १ नवंबर, २०१८ को आयोजित अपनी बैठक में पुनर्गठित एनआरसी के सदस्यों ने श्री अशोक जालान को समिति का अध्यक्ष चुना।

अन्य गतिविधियों में संलग्न होने के नाते, कंपनी के मंडल में निदेशक पद से हटने की अपनी इच्छा व्यक्त करने वाले श्री अशोक जालान के स्थान पर ३१ मार्च २०१९ को व्यवसायिक घंटो के समाप्त होने पर कंपनी के आईडी के रूप में उनके पहले कार्यकाल की समाप्ति पर १ अप्रैल, २०१९ से प्रभावी होने के साथ एनआरसी के सदस्य के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह को शामिल करके मंडल ने २८ मार्च, २०१९ को आयोजित अपनी बैठक में एनआरसी का फिर से पुनर्गठन किया।

इस रिपोर्ट की तिथि को, एनआरसी में ३ निदेशक : अध्यक्ष के रूप में डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी और इसके सदस्य के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह और श्री सिद्धार्थ मेहता शामिल थे। कंपनी सचिव एनआरसी के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान एनआरसी की पाँच बार २३ मई, २०१८, ९ अगस्त, २०१८, १ नवंबर, २०१८, २ जनवरी २०१९ और ७ फरवरी, २०१९ को बैठकें हुई थी। सभी बैठकों में अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित थी। एनआरसी के अध्यक्ष ९ अगस्त, २०१८ को आयोजित कंपनी की अंतिम एजीएम में उपस्थित थे।

नीचे दी गई तालिका एनआरसी के सदस्यों की उपस्थिति प्रदान करती है :

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	पद	श्रेणी	बैठकों में उपस्थिती की संख्या
१.	अनुज पोद्दार[१]	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	५ में से २
२.	अशोक जालान[२]	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	५ में से ५
३.	डॉ. इन्दु शहानी	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	५ में से ५
४.	सिद्धार्थ मेहता	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	५ में से ३
५	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह[३]	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं

टिप्पणियाँ :

१. *१८ अक्टूबर, २०१८ तक एनआरसी के अध्यक्ष/सदस्य।*

२. *१ नवंबर, २०१८ एनआरसी के अध्यक्ष/सदस्य।*

३. *१ अप्रैल २०१९ से प्रभावी होने के साथ लेखा परीक्षा समिति के नियुक्त सदस्य।*

एनआरसी की संदर्भ की शर्तें और कार्य

जैसा कि मंडल द्वारा अनुमोदित है, एनआरसी की संदर्भ की व्यापक शर्तें अधिनियम की धारा १७८ और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम १९ का अनुपालन करती हैं।

संदर्भ की शर्तें

१. उन व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने की योग्यता रखते हैं और निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार जो वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकते हैं, मंडल को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफ़ारिश करना; और मंडल द्वारा, एनआरसी द्वारा या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किए जाने वाले मंडल, उसकी समितियों, अध्यक्ष और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के प्रभावी मूल्यांकन का तरीका निर्दिष्ट किया जाएगा और उसके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा की जाएगी।

२. योग्यताओं, सकारात्मक गुणों और निदेशक की स्वतंत्रता के लिए मानदंड प्रतिपादित करना और मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित एक पॉलिसी की सिफारिश करना;

३. पॉलिसी प्रतिपादित करते समय यह निश्चित करना कि –

   अ. पारिश्रमिक का स्तर और संयोजन यथोचित है और कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक उत्कृष्ट निदेशकों को आकर्षित करने, प्रतिधारण करने और प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है;

   ब. पारिश्रमिक से प्रदर्शन का संबंध स्पष्ट है और उचित प्रदर्शन कीर्तिमानों को पूरा करता है; और

   क. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए पारिश्रमिक में स्थिर और प्रोत्साहन वेतन के बीच का संतुलन शामिल है जो कंपनी और उसके लक्ष्यों के संचालन के लिए उचित लघु और लम्बी अवधि के प्रदर्शन लक्ष्यों को दर्शाता है।

४. कंपनी की वित्तीय स्थिति, उद्योग में रुझान, नियुक्ति की योग्यताओं, अनुभव, पिछला कार्य निष्पादन, पिछला पारिश्रमिक, आदि पर विचार करना और प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक को देय पारिश्रमिक को स्वीकृति प्रदान करते समय कंपनी और शेयरधारकों के हित के बीच एक संतुलन बनाते हुए पारिश्रमिक संपुष्टि निर्धारित करने में निष्पक्षता उत्पन्न करना;

५. आईडी एवं मंडल के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करना/प्रतिपादित करना;

६. मंडल बहुरूपता पर एक नीति ढूँढ निकालना;

७. प्रस्तावित/वर्तमान निदेशकों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति सुनिश्चित करना

८. आईडी के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, मंडल को सिफारिश करना कि आईडी की नियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाना या जारी रखना है या नहीं।

९. पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक तथा पारिश्रमिक में परिवर्तन की समीक्षा और अनुमोदन करना।

१०. मंडल को वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक से एक स्तर नीचे मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य और विशेष रूप से कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे) को देय सभी पारिश्रमिक की सिफारिश करना; तथा

११. एसईबीआई (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, २०१४ (इसके संशोधन सहित) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति समिति के रूप में कार्य करना; कंपनी की ईएसओपी योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाली कर्मचारी स्टॉक विकल्पों की मात्रा निर्धारित करना; ईएसओपीएस प्रदान करने के लिए पात्रता निर्धारित करना; कंपनी कार्यवाहियों के मामले में निष्पक्ष और उचित समायोजन की प्रक्रिया तय करना; अनुदान की प्रक्रिया और शर्तें, कर्मचारी स्टॉक विकल्प निहित और प्रयोग करना; कर्मचारी स्टॉक विकल्प के नकदीरहित प्रयोग की प्रक्रिया आदि।

१२. मंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित किये हुए विशिष्ट दायित्वों का भार उठाना;

पारिश्रमिक नीति

एनआरसी की सिफारिश पर मंडल ने एक पारिश्रमिक नीति का निर्माण किया है, जो (अ) निदेशकों की योग्यताओं, सकारात्मक गुणों और निदेशकों की स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड; और (ब) निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक पर एक नीति प्रदान करता है। पारिश्रमिक नीति कंपनी की वेबसाइट: www.bajajelectricals.com पर डाली गई है।

अ) एनईडीज़ का पारिश्रमिक

एनईडीज़ के पारिश्रमिक धारा १७९ के तहत निर्धारित आधार पर लागू नियम के साथ पठित और अधिनियम की अनुसूची त और सूचीकरण विनियमों के सीमा के भीतर तय किए गए हैं। कंपनी के एनईडीज़ अपना पारिश्रमिक और कमीशन नीचे दिये अनुसार मंडल और समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के माध्यम से प्राप्त करते हैं:

(i) निदेशक को मंडल द्वारा, अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंतर्गत स्वीकृत लेखा परीक्षा समिति और मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए बैठक फ़ीस ₹१,००,०००/- और भाग ली हुई अन्य समितियों की बैठक के लिये बैठक फ़ीस ₹ ५०,०००/-;

(ii) ३१ जुलाई, २०१४ को आयोजित ७५ वीं एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अनुसरण में वार्षिक आधार पर निदेशक द्वारा भाग ली हुई मंडल और लेखा परीक्षा समिति की प्रत्येक बैठक के लिये अधिनियम के तहत निर्धारित कंपनी के शुद्ध लाभ की १% सीमा के अध्यधीन ₹१,००,०००/- कमीशन का भुगतान किया जाएगा;

(iii) मंडल और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए एनईडीज़ द्वारा किए गए यात्रा और अन्य संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति;

(iv) कंपनी के आईडीज़ कंपनी की ईएसओपी में भाग लेने के हकदार नहीं हैं।

सर्विस कान्ट्रैक्ट, नोटिस अवधि तथा सेवरेन्स फीस एनईडी पर लागू नहीं हैं।

ब) कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक

कार्यकारी निदेशकों, अर्थात, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, संयुक्त प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक एनआरसी की सिफारिश द्वारा, कंपनी के मंडल और शेयरधारकों द्वारा पारित प्रस्तावों से नियंत्रित होता है।

कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज में आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा यथा अनुमोदित वेतन, कमीशन, अनुलाभ और भत्ते और भविष्य निधि में अंशदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदर्शन से जुड़ी है और एनआरसी द्वारा तय की जाती है और मंडल को उसकी स्वीकृति के लिए अनुशंसित की जाती है।

पारिश्रमिक नीति उपलब्धियों की समीक्षा के आधार पर प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के प्रति निर्देशित है। इसका उद्देश्य उच्च श्रेणी की प्रतिभाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना है। नामांकन और पारिश्रमिक नीति कंपनी की वेबसाइट www.bajajelectricals.com पर प्रदर्शित है।

प्रवर्तक कार्यकारी निदेशकों/एनईडी के लिए कंपनी की कोई स्टॉक विकल्प योजना नहीं है। केवल गैर-प्रवर्तक कार्यकारी निदेशक ही स्टॉक विकल्प योजनाओं के लिए पात्र हैं।

वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान, कंपनी ने किसी भी निदेशक को कोई ऋण नहीं दिया है।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक नीति

केएमपी और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक काफी हद तक मूल वेतन, अनुलाभ, भत्ते और प्रदर्शन प्रोत्साहन मिलाकर बनता है। कुल पारिश्रमिक के घटक विभिन्न दर्जों के लिए अलग होते हैं और कर्मचारी के औद्योगिक तरीकों, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, उसके द्वारा उठाई गई जिम्मेदारियों, उसकी वार्षिक कार्यकुशलता आदि द्वारा शासित होते हैं। कार्यकुशलता भुगतान नीति कंपनी के उद्देश्यों से मेल खाने वाले मापदंडों पर प्रत्येक कर्मचारी का कार्यकुशलता भुगतान उसके व्यक्तिगत, व्यापारिक इकाई और कंपनी की समूची कार्यकुशलता से जुड़ा होता है।

३१ मार्च, २०१९ को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण

(अ) एनईडी

(₹ लाख में)

निदेशक का नाम	सिटिंग फीस (₹)	कमीशन (₹)	धारित शेयर्स/परिवर्तनीय विपत्रों की संख्या
मधुर बजाज	७.००	७.००	८१५०३५ इक्विटी शेयर
हर्ष वर्धन गोयंका	६.५०	६.००	कुछ नहीं
अशोक जालान	१८.००	१२.००	कुछ नहीं
डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह	७.५०	७.००	कुछ नहीं
डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी	१६.००	१२.००	कुछ नहीं
अनुज पोद्दार[१]	६.००	५.००	कुछ नहीं
सिद्धार्थ मेहता	१३.००	१०.००	कुछ नहीं
मुनीश खेत्रपाल[२]	४.५०	४.००	कुछ नहीं
पूजा बजाज[२]	५.००	४.००	१३०००० इक्विटी शेयर

टिप्पणियाँ :

१. *कंपनी की आईडी के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें देय पारिश्रमिक।*

२. *१ नवंबर २०१८ से प्रभावी होने के साथ कंपनी के मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त।*

३. *दिनांक ७ अगस्त, २०१९ को आयोजित होने के लिए निर्धारित एजीएम में शेयरधारकों द्वारा वित्तीय विवरणों को अपनाए जाने के बाद एनईडी को कमीशन का भुगतान किया जाएगा।*

(ब) कार्यकारी निदेशक

वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए/देय पारिश्रमिक का विवरण 'फॉर्म एमजीटी -९' में निदेशकों के रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिया गया है।

प्रदर्शन मूल्यांकन

अधिनियम के प्रावधानों और सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, मंडल ने अपने स्वयं, अपनी समितियों और अलग-अलग निदेशकों के प्रदर्शन का वार्षिक म ूल्यांकन किया है। मंडल के कामकाज के विभिन्न पहलुओं जैसे कि मंडल और उसकी समितियों की संरचना की पर्याप्तता, मंडल की संस्कृति, विशिष्ट कर्तव्यों, दायित्वों और नियंत्रण के निष्पादन और प्रदर्शन को शामिल करते हुए, प्रारूप फॉर्म संचलित करने के बाद एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई थी। तब प्रत्येक निदेशक द्वारा दी गई रेटिंग का समेकित सारांश तैयार किया गया था। तब मंडल द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन के रिपोर्ट पर चर्चा और टिप्पणियाँ की गई थीं।

आईडी द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और एनईडी का प्रदर्शन मूल्यांकन किया गया था. निदेशकों ने मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

(ग) हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)

संरचना और उपस्थिति

सूचीबद्धता विनियम के विनियम २० के साथ पठित अधिनियम की धारा १७८ (५) के प्रावधानों के अनुसार, मंडल की एसआरसी का गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री शेखर बजाज और एनईडी, श्रीमती पूजा बजाज को शामिल करके एसआरसी का पुनर्गठन किया गया । पुनश्च, श्री अशोक जालान कंपनी के निदेशक के रुप में अपनी सेवा समाप्ति के फलस्वरूप एसआरसी के सदस्य नहीं रह गए हैं।

१ अप्रैल, २०१९ से प्रभावी इस समिति में तीन निदेशक शामिल हैं। डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी, आईडी इस समिति की अध्यक्ष हैं। एसआरसी के अन्य सदस्यों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री शेखर बजाज और एनईडी, श्रीमती पूजा बजाज शामिल ह।

कंपनी सचिव, श्री मंगेश पाटिल को कंपनी का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है।

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के दौरान, समिति २८ मार्च २०१९ को एक बार मिली थी और इसमें विद्यमान सदस्य शामिल हुए थे।

९ अगस्त, २०१८ को आयोजित कंपनी की अंतिम एजीएम में एसआरसी के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक जालान उपस्थित थ।

एसआरसी की संदर्भ की शर्तें

२८ मार्च, २०१९ को, मंडल ने एसआरसी की संदर्भ की संशोधित शर्तों को स्वीकृति प्रदान की। परिचालन संबंधी सुविधा के लिए शेयर आवंटन समिति को भंग कर दिया गया और शेयर आवंटन समिति की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ एसआरसी को सौंप दी गईं।

एसआरसी की संदर्भ की संशोधित शर्तें इस प्रकार हैं :

१. शेयरों के हस्तांतरण/सौंपने, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों के निर्गमन, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों सहित कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान।

२. शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

३. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजन्ट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

४. दावारहित लाभांशों की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिसों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

५. इक्विटी और/या प्रेफरेन्स शेयरों का निर्गमन और आवंटन।

६. आवंटन पर नए शेयर प्रमाणपत्र का निर्गमन।

७. डुप्लिकेट/विभाजित/समेकित शेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन।

८. शेयरधारकों के किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करना जो शेयरों के निर्गमन और आवंटन के संबंध में पैदा हो सकते हैं।

९. आवश्यक होने पर शेयरों के निर्गमन, आवंटन, हस्तांतरण और शेयरधारकों की किन्हीं शिकायतों के संबंध में किसी भी प्रश्न, संदेह या समस्या की स्थिति में निदेशक मंडल को संदर्भ।

कंपनी का सचिवालय विभाग और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सीधे या सेबी, शेयर बाजारों, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, कंपनी रजिस्ट्रार, आदि के माध्यम से प्राप्त शेयरधारकों की सभी शिकायतों पर ध्यान देते हैं। एसआरसी की बैठकों के कार्यवृत्त मंडल द्वारा संचलित और नोट किए जाते हैं।

यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया जाता है कि निवेशकों की पूर्ण संतुष्टि के लिए शिकायतों का अधिक तेजी से निवारण किया जाए। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे त्वरित कार्रवाई की सुविधा के लिए अपना अद्यतन टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता जमा करें।

शेयरधारकों की प्राप्त, निपटाई गई और लंबित शिकायतों का विवरण

वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान प्राप्त, ध्यान दिए गए और निपटाई गई शिकायतें :

निवेशकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या
वर्ष के आरंभ में अनिर्णीत	कुछ नहीं
वर्ष के दौरान प्राप्त	४
वर्ष के दौरान सुलझायी गयी	३
वर्ष के अंत में शेष अनसुलझी	१*

* इस रिपोर्ट की तिथि को, उक्त लंबित शिकायत का भी समाधान हो गया है।

गत ५ वर्षों के दौरान शेयरों से संबंधित शिकायतों का स्वरूप इस प्रकार रहा है :

शिकायतों की संख्या

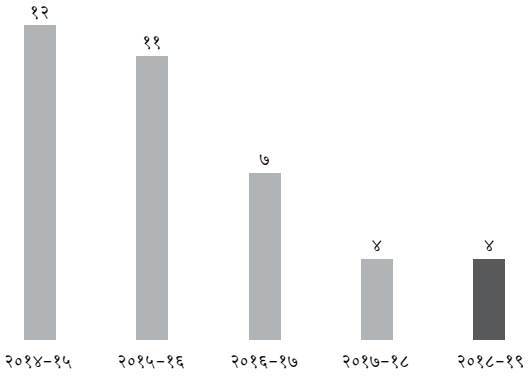

(घ) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

संरचना और उपस्थिति

कंपनी हमेशा से उन समुदायों की तरफ जिन्हें ये प्रभावित करती है, अपनी जिम्म दारियों के प्रति जागरूक रही है और कानून द्वारा अनिवार्य बनाए जाने के लंबे समय पूर्व से विभिन्न सीएसआर गतिविधियां करती आ रही है। जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है, कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की देखरेख और उसे दिशा देने के लिए, मार्च, २०१४ में मंडल की एक औपचारिक समिति का गठन किया गया था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, १० अगस्त, २०१८ को अपने निधन के परिणामस्वरूप सीएसआर समिति का सदस्य नहीं रह गए स्वर्गीय श्री अनंत बजाज के स्थान पर, श्री सिद्धार्थ मेहता को समिति के सदस्य के रूप में शामिल करके सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया।

३१ मार्च, २०१९ को, इस समिति में तीन निदेशक शामिल थे। समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री शेखर बजाज और समिति के सदस्य के रूप में डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी और श्री सिद्धार्थ मेहता, जो दोनों आईडी हैं।

वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान, समिति ने २८ मार्च, २०१९ को एक बार बैठक की और उक्त बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया था।

संदर्भ की शर्तें

सीएसआर मामलों के संबंध में समिति की जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

क) मंडल की सीएसआर नीति और कार्यक्रमों का निरूपण एवं संस्तुति;

ख) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों को लागू करना एवं उनकी देखरेख;

ग) सीएसआर कार्यक्रमों के संबंध में वार्षिक बजट की समीक्षा;

घ) सीएसआर के मामलों में कंपनी के रणनीतिक ढांचे और उद्देश्यों को स्थापित करने और विकसित करने के लिये प्रबंधन के साथ काम करना;

च) महत्वपूर्ण सतत विकास और समुदाय संबंधों सहित कंपनी के सीएसआर कार्यक्रम पर प्रबंधन से रिपोर्ट प्राप्त करना;

छ) सीएसआर के क्षेत्र में वर्तमान एवं उभरते हुये मुद्दों और प्रवृत्तियों के साथ कंपनी पर उनके संभावित प्रभाव पर चर्चा की प्रबंधन से रिपोर्ट प्राप्त करना;

ज) सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कंपनी के सीएसआर के प्रदर्शन पर प्रबंधन से रिपोर्ट प्राप्त करना;

झ) कंपनी के सीएसआर मामलों के विषय में लेखा परीक्षकों से या नियामक एजेंसियों या सलाहकार द्वारा दिये गये निष्कर्षों और सिफारिशों की समीक्षा करना; और

ट) मंडल की रिपोर्ट में कंपनी के सीएसआर मामलों के प्रकटीकरण की समीक्षा करना।

सीएसआर नीति पत्रक और सीएसआर रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों के लिये रिपोर्ट का हिस्सा है।

(च) जोखिम प्रबंधन समिति

संरचना

सूचीबद्धता विनियम के विनियम २१ के अनुसार, २८ मार्च, २०१९ को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के मंडल ने १ अप्रैल, २०१९ से प्रभावी होने वाली जोखिम प्रबंधन समिति का इसके सदस्यों के रूप में निम्नलिखित के साथ गठन किया:

१. श्री शेखर बजाज, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

२. श्री अनुज पोद्दार, कार्यकारी निदेशक

३. डॉ (श्रीमती) इन्दु शहानी, स्वतंत्र निदेशक

४. श्री सिद्धार्थ मेहता, स्वतंत्र निदेशक

५. श्री अनंत पुरंदरे, अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी

६. श्री ऋषिराज हल्दनकर, उपाध्यक्ष और प्रमुख - आंतरिक लेखा परीक्षा

कंपनी सचिव समिति के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

समिति की संरचना सूचीबद्धता विनियमों के अनुरूप है, जिसमें अधिकांश सदस्य कंपनी के निदेशक हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, उक्त समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी।

संदर्भ की शर्तें

समिति की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं। हालाँकि, समिति इन जिम्मेदारियों से हट सकती है और ऐसी अन्य जिम्मेदारियाँ ग्रहण कर सकती है जैसा कि वह अपने कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या उचित समझती है।

क) कंपनी के लिए वर्तमान और साथ ही संभावित जोखिमों (साइबर सुरक्षा और वित्तीय जोखिम से जुड़े जोखिमों सहित) की पहचान, आकलन, शमन और निगरानी करना, उन्हें दूर करने के लिए मंडल से रणनीतियों की अनुशंसा करना और इस संबंध में प्रमुख अग्रणी संकेतकों की समीक्षा करना।

ख) कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रथाओं सहित जोखिम प्रबंधन ढांचे की समय-समय पर समीक्षा और अनुमोदन करना।

ग) कंपनी के लिए महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन करना और समयोचित ढंग से जोखिमों का शमन करने के लिए प्रबंधन की कार्यवाही का आकलन करना।

घ) जोखिमों का शमन करने के लिए कार्य योजनाएँ विकसित और कार्यान्वित करना।

च) ऐसी अवस्थाओं में लेखा परीक्षा समिति के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करना जहाँ लेखा परीक्षा गतिविधियों (जैसे जोखिम प्रबंधन नीति या प्रथा से संबंधित आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षा मुद्दे) के साथ कोई अतिव्यापन है।

छ) ऐसे अंतरालों पर, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, अपनी जोखिम प्रबंधन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी के संसाधनों की पर्याप्तता की देखरेख करना।

ज) कंपनी के पहचाने गए जोखिमों के विरूद्ध कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करना और समय-समय पर आकलन करना।

झ) इस सनद की पर्याप्तता की समय-समय पर समीक्षा करना और अनुमोदन के लिए मंडल को किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन की अनुशंसा करना।

ट) नियमित रूप से महत्त्वपूर्ण व्यवसायिक जोखिमों की वर्तमान सूची की समीक्षा और अद्यतन करना।

ठ) जोखिम प्रबंधन और न्यूनतमीकरण प्रक्रियाओं के संबंध में मंडल को नियमित रिपोर्ट देना।

ड) जोखिम प्रबंधन योजना से संबंधित ऐसी अन्य गतिविधियाँ संपन्न करना, जैसा कि मंडल द्वारा अनुरोध किया गया है या इसकी संदर्भ की शर्तों के अधीन किसी भी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित मुद्दों को हल करना।

जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में ऐसी अन्य मदें शामिल होंगी जैसा कि समय-समय पर लागू कानून या लागू कानून का पालन करते हुए मंडल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

समय-समय पर मंडल द्वारा समिति के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।

(छ) वित्त समिति-

रचना और उपस्थिति

श्री अनंत बजाज के निधन और श्री अशोक जालान द्वारा विभिन्न अन्य गतिविधियों में संलग्न होने और कंपनी के लिए समय नहीं दे पाने के नाते ३१ मार्च २०१९ को आईडी के रूप में ५ वर्षों का अपना पहला कार्यकाल समाप्त होने के बाद कंपनी के मंडल में सेवा करने की अपनी अनिच्छा व्यक्त करने के कारण रिक्ति के मद्देनजर मंडल ने २८ मार्च, २०१९ को आयोजित बैठक में सदस्यों के रूप में निम्नलिखित निदेशकों के साथ वित्त समिति का पुनर्गठन किया :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद
१.	श्री. शेखर बजाज	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
२.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह	स्वतंत्र निदेशक
३.	श्रीमती पूजा बजाज	गैर-कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान, समिति ने ऊपर संदर्भित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए ९ मई, २०१८ को एक बार बैठक की और उक्त बैठक में तत्कालीन समिति के सदस्यों ने भाग लिया।

संदर्भ की शर्तें

वित्त समिति की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निम्नानुसार हैं :

१. **बैंकिंग और व्यापार व्यवस्था :** समिति की जिम्मेदारी होगी कि वह कंपनी की राजकोषीय गतिविधियों का सामान्य निरीक्षण करे. इस संबंध में, समिति कंपनी की इसके बैंकिंग और राजकोषीय प्राधिकरण सहित प्रमुख वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग संबंधों और कंपनी की परिचालन रणनीति, जोखिम संपर्क, वित्तीय नीतियों और लागू कानूनों या लेखांकन आवश्यकताओं में परिवर्तनों के प्रकाश में कंपनी की क्रेडिट सुविधाओं की महत्वपूर्ण शर्तों की समीक्षा करेगी।

बैंकिंग लेनदेन के संबंध में समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ/प्राधिकार होंगे:

(i) उधारियाँ - निदेशक मंडल की किन्हीं भी दो बैठकों के बीच ₹ ५०० करोड़ की राशि से अधिक सुरक्षित और/या असुरक्षित अल्पाविधिक या दीर्घावधिक ऋण/सुविधाएँ और (i) ऋण/सुविधा (ओं) की ब्याज की दर के नियम और शर्तों की बातचीत करना और अंतिम रूप देना; (ii) इस तरह की प्रतिभूतियाँ प्रदान करना जैसा कि वह सुरक्षित उधारियों के संबंध में आवश्यक मान सकती है; और (iii) चर्चा करना, व्यवस्था करना और दस्तावेज(जों) को निष्पादित करना जैसा कि कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के संदर्भ में कंपनी की आम मुहर के अंतर्गत किसी भी बैंक (बैंकों)/वित्तीय संस्थान(नों) द्वारा प्रदान किए गए/प्रदान किए जाने वाले किसी भी ऋण/सुविधा का लाभ लेने के लिए आवश्यक हो सकता ह और ऐसे सभी कार्य करना जो प्रत्यायोजित मामलों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(ii) किसी भी अन्य बैंक (बैंकों)/वित्तीय संस्थान(नों), आदि से किसी भी बिल में छूट और/या किन्हीं अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाना।

(iii) बैंक खाता खोलना और विभिन्न बैंक खातों के परिचालन के लिए कंपनी के अधिकारियों को अधिकार सौंपना;

२. **बीमा सुरक्षा :** समिति कंपनी के बीमा कार्यक्रम की वार्षिक समीक्षा करेगी, जिसमें उसके बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं की क्रेडिट गुणवत्ता, बीमा सुरक्षा का दायरा और सीमाएँ शामिल हैं।

३. **अधिग्रहण और हरण :** समिति महत्वपूर्ण अधिग्रहणों या अन्य इक्विटी निवेशों और कंपनी के किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिचालनों के हरण की वित्तीय शर्तों की समीक्षा कर सकती है जिसे प्राधिकरण के संबंध में कंपनी की कॉर्पोरेट प्रशासन नीति के अंतर्गत अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है। समिति लेनदेनों के वित्तीय नियमों को भी स्वीकृति प्रदान कर सकती है जो निदेशक मंडल द्वारा सिद्धांतत: अनुमोदित हैं, यदि मंडल द्वारा ऐसा करने के लिए प्रत्यायोजित किया गया है।

४. **प्रत्यायोजन :** उपयुक्त होने पर, जैसा कि लागू कानून और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत अनुमत है, मंडल या समिति उप-समिति को अपनी कोई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जिसमें मंडल के एक या एक से अधिक सदस्य, समिति या प्रबंधन के सदस्य शामिल होंगे।

५. **अन्य कर्तव्य :** समिति ऐसे अन्य कर्तव्यों की भी पूर्ती करेगी जैसा कि समय-समय पर मंडल द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं।

(ज) ईएसओपी के अंतर्गत शेयरों के आवंटन के लिए शेयर आवंटन समिति

ईएसओपी के अंतर्गत प्रदान किए गए अपने स्टॉक विकल्पों के प्रयोग पर कंपनी के पात्र कर्मचारियों को शेयर आवंटन और निर्गमन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शेयर आवंटन समिति का गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, १० अगस्त, २०१८ को, श्री अनंत बजाज के निधन के कारण शेयर आवंटन समिति का १ नवंबर, २०१८ को पुनर्गठन किया गया, जिसमें तीन निदेशक अर्थात इसके अध्यक्ष के रूप में श्री शेखर बजाज, इसके सदस्य के रूप में श्री अशोक जालान और श्रीमती पूजा बजाज शामिल हैं।

कंपनी सचिव समिति के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान, समिति ने चार बार अर्थात, १५ जून, २०१८, ३० अगस्त, २०१८, २६ नवंबर, २०१८ और ७ फरवरी, २०१९ को बैठकें कीं।

वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान आयोजित बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति

निदेशक	उपस्थित बैठकों की संख्या
शेखर बजाज	४
अनंत बजाज[१]	१
अशोक जालान	४
पूजा बजाज[२]	२

टिप्पणियाँ :

१. *श्री अनंत बजाज, प्रबंध निदेशक की निदेशकता को १० अगस्त, २०१८ को उनकी मृत्यु होने पर समाप्त कर दिया गया है।*

२. *१ नवंबर २०१८ से प्रभावी होने के साथ शेयर आवंटन समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।*

मंडल के प्रस्ताव दिनांकित २८ मार्च, २०१९ के अनुसार, शेयर आवंटन समिति को १ अप्रैल, २०१९ को प्रभावी होने के साथ भंग कर दिया गया और इसके प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ हितधारक संबंध समिति को प्रत्यायोजित कर दिए गए।

(झ) ऋणपत्र (डिबेंचर) समिति

अपने अंशदाताओं/आवंटियों को अपरिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) आवंटित करने के उद्देश्य से ऋणपत्र समिति का गठन किया गया है। इसकी संरचना में समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री शेखर बजाज, इसके सदस्यों के रूप में कार्यकारी निदेशक श्री अनुज पोद्दार और कंपनी निदेशक श्री सिद्धार्थ मेहता शामिल हैं।

कंपनी के कंपनी सचिव इस समिति के संयोजक के रूप में कार्य करते है। एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड ऋणपत्र धारकों के लिए ऋणपत्र ट्रस्टी है। ऋणपत्र ट्रस्टी का विवरण इस रिपोर्ट का भाग है।

२१ फरवरी, २०१९ को इस समिति की बैठक हुई थी, जिसमें समिति के अध्यक्ष श्री शेखर बजाज और समिति के सदस्य श्री सिद्धार्थ मेहता ने भाग लिया था। श्री अनुज पोद्दार को अनुपस्थिति अवकाश दिया गया था।

(ट) आईडी की बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, २८ मार्च, २०१९ को आईडी की, अन्य बातों के साथ, बैठक हुई थी :

- समग्र रूप से निदेशक मंडल और गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए;
- कार्यकारी और एनआईडी के विचारों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए;
- मंडल के अपने कर्तव्यों का प्रभावी और उचित ढंग से निष्पादन करने के लिए आवश्यक प्रबंधन और मंडल के बीच सूचना प्रवाह की गुणवत्ता, सामग्री और समयबद्धता के मूल्यांकन के लिए।

इस बैठक में सभी आईडी उपस्थित थे।

सहायक कंपनियाँ

कंपनी की यथा संशोधित सूचीबद्धता विनियमों के अनुरूप महत्वपूर्ण सहायक कंपनियाँ निर्धारित करने की नीति है और इसे कंपनी के वेबसाइट www.bajajelectricals.com पर भी अपलोड किया गया है। कंपनी की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकताएँ कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

अभिपुष्टि और प्रकटीकरण :

ए. नियंत्रण ढांचे का अनुपालन

कंपनी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करती है।

बी. संबंधित पक्ष लेनदेन

जैसा कि अधिनियम और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम २३ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, वित्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेन-देन निष्पक्ष वाणिज्यिक आधार पर थे और अधिनियम की धारा १८८ के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं। वित्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ वस्तुत: कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ था। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और टिप्पणियों के अंतर्गत संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटीकरण किया गया है और "आईएनडी एएस" के अनुसार वित्तीय विवरणों का भाग हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष वाणिज्यिक आधार पर संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा के लिए और मंडल के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए अनुशंसा हेतु रखा जाता है।

जैसा कि सूचीबद्धता विनियमों के विनियम २३ (१) के अंतर्गत आवश्यक है, कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेन से व्यवहार करने की नीति तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट www.bajajelectricals.com पर उपलब्ध है।

सभी लेनदेन निष्पक्ष वाणिज्यिक या उचित मूल्य आधार पर किए गए हैं और उनका कंपनी के हित के साथ कोई संभावित टकराव नहीं है।

सी. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पूँजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन, स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर आरोपित अर्थदंडों और व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों का विवरण।

कंपनी ने सूचीबद्धता विनियमों के साथ-साथ अन्य विनियमों और सेबी के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। फलस्वरूप,पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान पूँजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले के गैर-अनुपालन के लिए सेबी या स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर आरोपित कोई अर्थदंड और व्यवहार को नियंत्रित करने वाला नियम नहीं था।

डी. चौकसी तंत्र/व्हिसिल ब्लोअर नीति

अधिनियम की धारा १७७ (९) और (१०) और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम २२ के अनुसार, कंपनी ने प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में सूचना देने के लिए व्हिसिल ब्लोअर नीति तैयार की है। यह तंत्र इस तंत्र का उपयोग करने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरूद्ध पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करती है और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच का प्रावधान करती है। कंपनी के किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है। व्हिसिल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट www.bajajelectricals.com पर प्रदर्शित है।

ई. लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण

वित्तीय विवरण तैयार करते हुए, कंपनी ने अधिनियम की धारा १३३ में संदर्भित लेखांकन मानकों का पालन किया है। निरंतर लागू की जाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रदर्शित की गई हैं।

एफ. जोखिम प्रबंधन

व्यवसाय जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन कंपनी के भीतर एक सतत प्रक्रिया है। समय-समय पर मंडल द्वारा मूल्यांकन की जाँच की जाती है।

जी. कमोडिटी मूल्य जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ

कंपनी में कमोडिटी के लिए पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन और न्यूनतमीकरण प्रणाली है। कंपनी का किसी भी कमोडिटी से महत्वपूर्ण संपर्क नहीं है और तदनुसार इसके लिए कोई हेजिंग गतिविधियाँ नहीं की जाती हैं। इसलिए, सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआईआर/पी/२०१८/०००००००१४१ दिनांकित १५ नवंबर, २०१८ के संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रकटीकरण नहीं है।

एच. जैसा कि विनियम ३२ (७ ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट है, अधिमानी आवंटन या अर्हताप्राप्त संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण।

प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर वर्ष के दौरान जारी किए गए अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों का विवरण निदेशकों के रिपोर्ट में दिया गया है।

आई. व्यवसायरत कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र कि कंपनी के मंडल में कोई भी निदेशक मंडल/कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने से विवर्जित नहीं किया गया या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

व्यवसायरत कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के भाग के रूप में इसके साथ संलग्न है।

जे. जहाँ प्रासंगिक वित्त वर्ष में मंडल ने मंडल की किसी भी समिति की किसी भी अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया था जो अनिवार्य रूप से आवश्यक थी। लागू नहीं

के. सांविधिक आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म में सभी संस्थाओं/नेटवर्क संस्था जिसके सांविधिक लेखा परीक्षक भाग हैं को समेकित आधार पर, सूचीबद्ध संस्था और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सभी सेवाओं के लिए भुगतान किया गया कुल शुल्क।

सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्कों से संबंधित विवरण स्वचलित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी ३० (ए) में दिए गए हैं।

एल. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३ के संबंध में प्रकटीकरण।

वर्ष के दौरान दाखिल और निपटाई गई और और ३१ मार्च, २०१९ को लंबित शिकायतों की संख्या का विवरण निदेशकों के रिपोर्ट में दिया गया है।

एम. गैर-अनिवार्य आवश्यकताएँ

सूचीबद्धता विनियमों की गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के अंगीकरण की मंडल द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

निदेशकों के रिपोर्ट के पैरा 'जोखिम प्रबंधन' का संदर्भ लें जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

गैर-अनिवार्य (विवेकाधीन) आवश्यकताओं के अंगीकरण का विवरण

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम २७ के अंतर्गत गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है :

- **मंडल**

  गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यालय के रखरखाव और खर्चों की प्रतिपूर्ति से संबंधित आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है क्योंकि कंपनी का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है।

- **शेयरधारकों के अधिकार**

  कंपनी ने शेयरधारकों को वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा भेजने की प्रथा को नहीं अपनाया है। मंडल द्वारा यथा अनुमोदित तिमाही परिणाम शेयर बाजारों को प्रसारित किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन किए जाते हैं।

- **लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय**

  लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई संशोधित राय नहीं है।

- **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग**

  अधिनियम की धारा १३८ के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है जो लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट देता है। त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत आंतरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्ट की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और आवश्यक कार्रवाई के लिए सुझाव/निर्देश, यदि कोई हो, दिए जाते हैं।

विनियम १७ से २७ और विनियम ४६ (२)में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण

क्र.सं.	विवरण	विनियम	विनियमों का संक्षिप्त विवरण	अनुपालन स्थिति (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
१.	निदेशक मंडल	१७(१)	मंडल की संरचना	हाँ
		१७(२)	निदेशक मंडल की बैठक	हाँ
		१७(३)	अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा	हाँ
		१७(४)	नियुक्तियों के लिए क्रमिक पदारोहण की योजना	हाँ, किसी भी समय जैसा कि लागू हो
		१७(५)	आचरण संहिता	हाँ
		१७(६)	शुल्क/क्षतिपूर्ति	हाँ
		१७(७)	मंडल के समक्ष रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी	हाँ
		१७(८)	अनुपालन प्रमाण पत्र	हाँ
		१७(९)	जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन	हाँ
		१७(१०)	प्रदर्शन मूल्यांकन	हाँ
२.	लेखा परीक्षा समिति	१८(१)	लेखा परीक्षा समिति की संरचना और एजीएम में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति	हाँ
		१८(२)	लेखा परीक्षा समिति की बैठक	हाँ
		१८(३)	लेखा परीक्षा समिति की भूमिका और लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा	हाँ
३.	नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)	१९(१) और (२)	एनआरसी की संरचना	हाँ
		१९(३)	एजीएम में एनआरसी के अध्यक्ष की उपस्थिति	हाँ
		१९(४)	एनआरसी की भूमिका	हाँ
४.	हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)	२०(१), (२) और (३)	एसआरसी की संरचना	हाँ
		२०(४)	एसआरसी की भूमिका	हाँ
५.	जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)	२१(१),(२) और (३)	आरएमसी की संरचना	हाँ
		२१(४)	आरएमसी की भूमिका	हाँ
६.	चौकसी तंत्र	२२	निदेशकों और कर्मचारियों के लिए चौकसी तंत्र का गठन	हाँ
७.	संबंधित पक्ष लेनदेन (आरपीटी)	२३(१),(५),(६),(७) और (८)	आरपीटी के लिए नीति	हाँ
		२३(२) और (३)	सभी आरपीटी के लिए लेखा परीक्षा समिति के बहुप्रयोजन अनुमोदन सहित अनुमोदन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा लेनदेन की समीक्षा	हाँ
		२३(४)	महत्वपूर्ण आरपीटी के लिए स्वीकृति	लागू नहीं
८.	कंपनी की सहायक कंपनियाँ	२४(१)	असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना	लागू नहीं
		२४(२),(३),(४),(५) और (६)	सूचीबद्ध संस्था की महत्वपूर्ण सहायक कंपनी सहित सहायक कंपनी के संबंध में अन्य कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताएँ	लागू नहीं
९.	आईडी के संबंध में दायित्व	२५(१) और (२)	अधिकतम निदेशकता और कार्यकाल	हाँ
		२५(३)	आईडी की बैठक	हाँ
		२५(४)	आईडी द्वारा प्रदर्शन की समीक्षा	हाँ
		२५(७)	आईडी का परिचितीकरण	हाँ
१०.	निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के संबंध में दायित्व	२६(१) और (२)	समितियों में सदस्यता और अध्यक्षता	हाँ
		२६(३)	निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक से आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि	हाँ
		२६(४)	एनईडी द्वारा शेयरधारिता का प्रकटीकरण	हाँ
		२६(५)	हित के संभावित टकरावों के बारे में वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण	हाँ
११.	अन्य कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताएँ	२७(१)	विवेकाधीन आवश्यकताओं का अनुपालन	हाँ
		२७(२)	कॉर्पोरेट प्रशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करना	हाँ

क्र.सं.	विवरण	विनियम	विनियमों का संक्षिप्त विवरण	अनुपालन स्थिति (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
१२.	कंपनी की वेबसाइट पर प्रकटीकरण	४६(२)(ख)	आईडी की नियुक्ति के नियम और शर्तें	हाँ
		४६(२)(ग)	निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना	हाँ
		४६(२)(घ)	निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता	हाँ
		४६(२)(च)	चौकसी तंत्र की स्थापना/व्हिसिल ब्लोअर नीति का विवरण	हाँ
		४६(२)(छ)	एनईडी को भुगतान करने का मानदंड	हाँ
		४६(२)(ज)	आरपीटी से व्यवहार करने की नीति	हाँ
		४६(२)(झ)	महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति	हाँ
		४६(२)(ञ)	आईडी को दिए गए परिचयकरण कार्यक्रमों का विवरण	हाँ

शेयरधारकों के लिए सूचनाएं

पूर्व तीन एजीएम (वार्षिक आम सभा) का विवरण :

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम का दिन, तिथि और समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव का विवरण पारित
७७ वीं एजीएम	२०१५-१६	गुरुवार, ०४ अगस्त २०१६ सुबह ११.०० बजे	वालचंद हिराचंद हॉल, ४ थी मंज़िल, इंडियन मर्चेन्ट्स चेम्बर, आईएमसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२०.	कुछ नहीं
७८ वीं एजीएम	२०१६-१७	गुरुवार, ०३ अगस्त २०१७ सुबह ११.३० बजे		- लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की संपुष्टि - प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों का निर्गमन.
७९ वीं एजीएम	२०१७-१८	गुरुवार, ०९ अगस्त २०१८ दोपहर १२.०० बजे	कमलनयन बजाज हॉल, बजाज भवन, जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१	- लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की संपुष्टि - प्रतिभूति निर्गमन के माध्यम से उधारी - कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री अनंत बजाज की प्रोन्नति और पुन: पदनामितिकरण; - कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से भिन्न स्थान पर सांविधिक पंजिकाओं का रखरखाव; तथा - कंपनी अधिनियम, २०१३ के अनुरूप कंपनी के संस्था अंतर्नियम के नए सेट का अंगीकरण.

सामान्य निकाय बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई बेंच के निर्देशों के अनुसार, हिंद लैम्प्स लिमिटेड और कंपनी व उसके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच इस व्यवस्था की योजना पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों, कंपनी के सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक इस प्रकार आयोजित की गई :

बैठक का प्रकार	दिनांक	समय	स्थान
इक्विटी शेयरधारक	गुरुवार, २१ फरवरी २०१९	सुबह १०.३० बजे	वालचंद हिराचंद हॉल, ४ थी मंज़िल, इंडियन मर्चेन्ट्स चेम्बर, आईएमसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२०, महाराष्ट्र.
सुरक्षित लेनदार	गुरुवार, २१ फरवरी २०१९	दोपहर ०३.३० बजे	
असुरक्षित लेनदार	शुक्रवार, २२ फरवरी २०१९	सुबह १०.३० बजे	
स्थगित सुरक्षित लेनदार	मंगलवार, १९ मार्च २०१९	शाम ०४.३० बजे	मुल्ला हाउस, ५१ एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई - ४००००१, महाराष्ट्र.

डाक मतपत्र

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा ११० के प्रावधानों के अनुसार एक डाक मतपत्र संचालित किया गया था। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री अनंत बी. खमनकर को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मतपत्र का संचालन करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। मतदान भौतिक प्रणाली के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से भी आयोजित किया गया था। कंपनी ने अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) की सेवाएं ली थीं। पोस्टल बैलेट की नोटिस के साथ विस्तृत निर्देश किट थी ताकि सदस्यों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान (दूरस्थ ई-वोटिंग सहित) की प्रक्रिया और उसके तरीके को समझने में सक्षम किया जा सके। ई-वोटिंग की अंतिम तिथि और डाक मतपत्र फॉर्मों की प्राप्ति की तिथि अर्थात मंगलवार, २६ मार्च, २०१९ को निम्नलिखित प्रस्तावों को पारित माना गया है। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ उपरोक्त मतदान के परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय और कंपनी की वेबसाइट www.bajajelectricals.com और LIIPL यानी https: //instavote.linkintime.co.in पर प्रदर्शित किए गए थे।

सभी प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित किया गया था। डाक मतपत्र के परिणामों का विवरण निम्नलिखित है :

विवरण	प्राप्त मतों की संख्या	पक्ष में पड़े मतों की संख्या और (%)	विपक्ष में पड़े मतों की संख्या और (%)
विशेष प्रस्ताव : कंपनी के मंडल में पाँच (५) वर्षों की लगातार दूसरी अवधि अर्थात १ अप्रैल, २०१९ से ३१ मार्च, २०२४ तक के लिए एक आईडी के रूप में श्री हर्ष वर्धन गोयंका की पुन: नियुक्ति।	७१६२३३०९	६९८९२७८२ (९७.५८%)	१७३०५२७ (२.४२%)
विशेष प्रस्ताव: कंपनी के मंडल में पाँच (५) वर्षों की लगातार दूसरी अवधि अर्थात १ अप्रैल, २०१९ से ३१ मार्च, २०२४ तक के लिए एक आईडी के रूप में डॉ (श्रीमती) इन्दु शहानी की पुन: नियुक्ति।	७१६२२८८७	६९९२०३४९ (९७.६२%)	१७०२५३८ (२.३८%)
विशेष प्रस्ताव: कंपनी के मंडल में पाँच (५) वर्षों के लगातार दूसरे कार्यकाल अर्थात १ अप्रैल, २०१९ से ३१ मार्च, २०२४ तक के लिए आईडी के रूप में डॉ राजेंद्र प्रसाद सिंह की नियुक्ति और साथ ही ७५ वर्ष से अधिक आयु तक नॉन-एक्ज़िक्यूटिव आईडी के पद पर बने रहेंगे।	७१६२२८९६	७०११६३२२ (९७.९०%)	१५०६५७४ (२.१०%)
विशेष प्रस्ताव: कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १८५ के तहत निर्दिष्ट कंपनी के किसी भी सहायक या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में ऋण या गारंटी देने या सुरक्षा प्रदान करने की स्वीकृति।	७१५९१७४४	६६६३११९६ (९३.०७%)	४९६०५४८ (६.९३%)

इसके अलावा, आगामी ८०वें एजीएम में संपादन के लिए प्रस्तावित व्यवसायों में से किसी को भी डाक मतपत्र के माध्यम से एक विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

वित्त वर्ष २०१८-१९ के लिए एजीएम

दिन और तारीख	बुधवार, ०७ अगस्त २०१९
समय	दोपहर १२.३० बजे
स्थान	कमलनयन बजाज हॉल, बजाज भवन,जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१
वित्तीय वर्ष	१ अप्रैल २०१८ से ३१ मार्च २०१९ तक
लाभांश के लिए बही-खाता समाप्ती तिथि	शनिवार, २७ जुलाई २०१९ से बुधवार, ७ अगस्त २०१९
प्रॉक्सी फॉर्म्स प्राप्त करने की अंतिम तिथि	सोमवार, ०५ अगस्त २०१९ को दोपहर १२. ३० बजे से पहले

३१ मार्च, २०२० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए संभावित कैलेंडर

त्रैमासिक वित्तीय परिणामों पर विचार के लिए मंडल की बैठक की संभावित तारीखें इस प्रकार हैं :

क्र.	विवरण	विनियम
१.	पहली तिमाही के परिणाम	अगस्त २०१९ के दूसरे हफ्ते में
२.	दूसरी तिमाही तथा छमाही के परिणाम	नवंबर २०१९ के दूसरे हफ्ते में
३.	तीसरी तिमाही के परिणाम	फरवरी २०२० के दूसरे हफ्ते में
४.	चौथी तिमाही तथा वार्षिक परिणाम	मई २०२० के चौथे हफ्ते में

लाभांश

२२ मई, २०१९ को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने कंपनी के इक्विटी शेयरों पर वित्त वर्ष २०१८-१९ के लिए ₹ ३.५० प्रति शेयर लाभांश भुगतान की सिफारिश की है, जो कि आगामी एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। भौतिक शेयरधारकों के संबंध में लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम २६ जुलाई, २०१९ को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं और जिनका नाम २६ जुलाई, २०१९ को नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देता है। लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, तो १४ अगस्त, २०१९ को या उसके बाद भुगतान किया जाएगा।

लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सूचीबद्धता विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार लाभांश वितरण नीति अपनाई है जो इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है और साथ ही, कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर भी उपलब्ध है।

पिछले १० वित्तीय वर्षों का लाभांश इतिहास

निम्नलिखित तालिका में पिछले १० वित्तीय वर्षों में कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए लाभांश का इतिहास दिया गया है :

क्र.	वित्त वर्ष	लाभांश घोषणा की तिथि	प्रति शेयर लाभांश
१.	२००८-०९	जुलाई ३०, २००९	₹ १०.००
२.	२००९-१०	जुलाई २८, २०१०	₹ २.४०
३.	२०१०-११	जुलाई २८, २०११	₹ २.८०
४.	२०११-१२	जुलाई २६, २०१२	₹ २.८०
५.	२०१२-१३	अगस्त ६, २०१३	₹ २.००
६.	२०१३-१४	जुलाई ३१, २०१४	₹ १.५०
७.	२०१४-१५	अगस्त ६, २०१५	₹ १.५०
८.	२०१५-१६	मार्च १०, २०१६	₹ २.८०
९.	२०१६-१७	अगस्त ३, २०१७	₹ २.८०
१०.	२०१७-१८	अगस्त ९, २०१८	₹ ३.५०

दावा-रहित लाभांश/शेयर

अधिनियम की धारा १२४(५) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कंपनी के अनपेड डिविडेंड अकाउंट में हस्तांतरित किया गया लाभांश हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक अदेय रहता है या उस पर दावा नहीं किया जाता है तो इस तरह के दावा-रहित या अदेय लाभांश को कंपनी द्वारा ब्याज सहित, यदि कोई हो तो, अधिनियम की धारा १२५ की उप-धारा (१) के तहत स्थापित निधि, 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि' ('आईईपीएफ') में हस्तांतरित कर दिया जाता है। दावा-रहित/अप्रदत्त लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bajajelectricals.com पर उपलब्ध है।

सात वर्षों की लगातार अवधि तक शेयरों पर अप्रदत्त/दावा-रहित लाभांश के मामले में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के डीमैट खाते में शेयरों का अनिवार्य हस्तांतरण

अधिनियम की धारा १२४ (६) के नियम ६ के संदर्भ में निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, २०१६ (समय-समय पर संशोधित) (आईईपीएफ नियम) शेयर या उसके लाभांश पर यदि सात वर्षों या उससे अधिक की अवधि तक शेयरधारक द्वारा भुगतान या दावा नहीं किया जाता है, तो ऐसे शेयरों को तीस दिनों की अवधि के भीतर निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के डीमैट खाते में जमा कर दिया जाएगा। ऐसे शेयरों के हस्तांतरण पर, सभी लाभ (जैसे बोनस, आदि), यदि कोई हो तो, ऐसे शेयरों पर उपार्जित राशि भी उसी डीमैट खाते में जमा की जाएगी और ऐसे शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेंगे जब तक कि सही मालिक शेयरों पर दावा नहीं करता।

जिन शेयरों को आईईपीएफए के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया गया है, उन्हें पूर्वोक्त नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके शेयरधारकों द्वारा आईईपीएफए से वापस लेने का दावा किया जा सकता है।

कंपनी संबंधित सदस्यों को व्यक्तिगत संदेश भेजने की प्रक्रिया में है, जिनके शेयर २५ अगस्त, २०१९ (नियत तारीख) को आईईपीएफए में हस्तांतरित किए जाने वाले हैं, ताकि वह इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर सकें। जैसा कि आईईपीएफ नियमों के तहत आवश्यक है, कंपनी उन सदस्यों को, जिन्होंने ७ साल की अवधि तक अपने लाभांश पर दावा नहीं किया है, सूचित करने वाला एक नोटिस भी प्रकाशित करेगी ताकि वह आईईपीएफए में हस्तांतरित होने से पहले कंपनी से उस पर दावा कर सकें।

शेयरधारकों को अपने हित में, कंपनी द्वारा समय-समय पर घोषित लाभांश पर नियमित रूप से दावा किया जाना चाहिए।

३१ मार्च २०१९ को बिना दावे के लाभांशो का विवरण तथा हस्तांतरण की नियत तिथी नीचे दी गयी है :

क्र.	वित्त वर्ष	लाभांश घोषणा की तिथी	बिना दावे के लाभांश (₹)	आईईपीएफ खाते के हस्तांतरण के लिए नियत तारीख
१.	२०११-१२	जुलाई २६, २०१२	११,७९,४९७.२०	अगस्त २५, २०१९
२.	२०१२-१३	अगस्त ६, २०१३	८,२६,९९४.००	सितंबर ५, २०२०
३.	२०१३-१४	जुलाई ३१, २०१४	८,७३,०८५.५०	अगस्त ३०, २०२१
४.	२०१४-१५	अगस्त ६, २०१५	९,६४,३६३.५०	सितंबर ५, २०२२
५.	२०१५-१६	मार्च १०, २०१६	१८,२६,७९८.४०	अप्रैल ९, २०२३
६.	२०१६-१७	अगस्त ३, २०१७	१७,२८,६६९.६०	सितंबर १, २०२४
७.	२०१७-१८	अगस्त ९, २०१८	२०,८१,४७१.००	सितंबर ७, २०२५

दावा न किए गए शेयर

कंपनी के पास किसी भी सार्वजनिक निर्गम से इसके पास पड़े कोई दावा न किये गये शेयर्स नहीं है। हालांकि कंपनी द्वारा जारी बोनस शेयरों के परिणामस्वरूप कुछ शेयरों पर शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। सूचीबद्धता विनियमों के विनियम ३९(४) के तहत जैसा कि आवश्यक है, इन शेयरों पर दावा करने के लिए कंपनी द्वारा संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक भेजे जाने वाले है और इन शेयरों को सस्पेंस खाते में जमा करने की प्रक्रिया में है।

सूचीकरण विनियमों की अनुसूची त के साथ पठित विनियम ३४(३) के तहत, सस्पेंस अकाउंट में शेयरों के विवरण निम्नानुसार हैं :

वर्ष के प्रारंभ में सस्पेंस अकाउंट में पड़े बकाया शेयरों एवं शेयरधारकों की समेकित संख्या	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने वर्ष के दौरान सस्पेंस अकाउंट से शेयर अंतरित करने हेत कंपनी से संपर्क किया है	उन शेयरधारकों की संख्या, जिनके शेयर वष के दौरान सस्पेंस अकाउंट से अंतरित किए गए थे	वर्ष के समापन पर सस्पेंस अकाउंट में पड़े बकाया शेयरा एवं शेयरधारकों की समेकित संख्या	इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेंगे, जब तक ऐसे शेयरों के सही स्वामी द्वारा शेयरों का दावा नहीं किया जाता
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ऐसे शेयरों पर सभी कॉर्पोरेट लाभ जैसे बोनस शेयर इत्यादि आईईपीएफ नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा १२४(६) के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित किए जाएँगे। पात्र शेयरधारकों से इस पर ध्यान देने और आवश्यक दस्तावेज देने पर उक्त खाते से शेयरों का दावा करने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

३१ मार्च, २०१९ को शेयरधारिता का वितरण :

इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का %	धारीत शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
१ से ५००	३८९०१	८८.७२	३८३२१५४	३.७४
५०१ से १०००	२१५३	४.९१	१६१४७३६	१.५८
१००१ से २०००	११३६	२.५९	१६६०७२१	१.६२
२००१ से ३०००	५४२	१.२४	१३५३४०३	१.३२
३००१ से ४०००	२५४	०.५८	८९७६७५	०.८८
४००१ से ५०००	१८४	०.४२	८५१०७६	०.८३
५००१ से १००००	३०८	०.७०	२२५८३९१	२.२१
१०००१ और उससे अधिक	३६८	०.८४	८९९३१४४५	८७.८२
कुल	४३८४६	१००.००	१०२३९९६०१	१००.००

३१ मार्च, २०१९ को शेयरधारिता का वितरण :

श्रेणियाँ	३१ मार्च २०१९		३१ मार्च २०१८	
	शेयरों की संख्या	कुल पूँजी का %	शेयरों की संख्या	कुल पूँजी का %
प्रोत्साहक	६४२१८४८५	६२.७१	६४२१८४८५	६२.९४
व्यक्ति (एचयूएफ सहित)	१७००५८८९	१६.६१	१५०७४१३२	१४.७७
एफआईआईज़	५८३४७१७	५.७०	९९१९६४७	९.७२
म्युचुअल फंड्स	८३५२२९४	८.१६	५४७६०१३	५.३७
भारतीय निकाय निगम	२७६५१८५	२.७०	३८१४२५७	३.७४
न्यास	१९०३६७२	१.८६	१८९६७१८	१.८६
एनआरआईज़ और ओबीसीज़	१३३९२३९	१.३१	९५२९४३	०.९३
आईईपीएफ	२३४०१६	०.२३	२२५६८०	०.२२
समाशोधन सदस्य	२०६९६३	०.२०	१८५३०७	०.१८
वैकल्पिक निवेश निधि	४४९४०५	०.४४	१८००००	०.१८
बैंक तथा एफआईज़	८९६९१	०.०८	५१७१९	०.०५
विदेशी नागरिक	४५	०.००	४२६००	०.०४
कुल	१०२३९९६०१	१००.००	१०२०३७५०१	१००.००

३१ मार्च, २०१९ को आकार वर्ग के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

३१ मार्च, २०१९ को शेयरधारिता

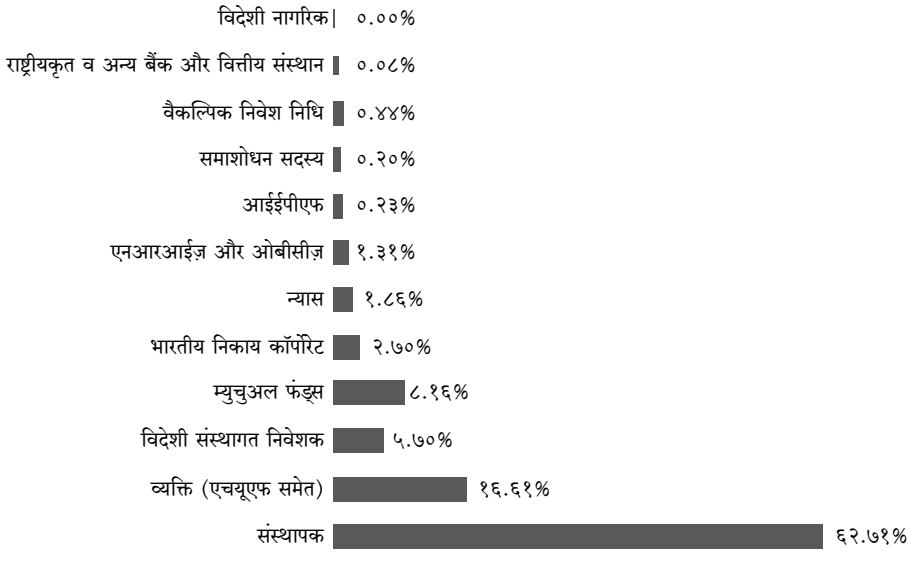

शेयरों और नकदी का डिमटेरियलाइजेशन

३१ मार्च, २०१९ तक कंपनी के ९८.२३% इक्विटी शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन (एनएसडीएल ९५.०२% और सीडीएसएल ३.२१%) हो गया है। कंपनी ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत शेयरधारकों के पास किसी भी डिपॉजिटरी में अपने शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन कराने का विकल्प है।

भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारण किए गए शेयर्स :

श्रेणियाँ	३१ मार्च २०१९		३१ मार्च २०१८	
	शेयरों की संख्या	कुल पूँजी का %	शेयरों की संख्या	कुल पूँजी का %
भौतिक (ए)	१८०५९८६	१.७६	२०८३६५६	२.०४
डिमैट				
एनएसडीएल	९७३०९३२७	९५.०३	९७१२४६८०	९५.१९
सीडीएसएल	३२८४२८८	३.२१	२८२९१६५	२.७७
कुल डिमैट (बी)	**१००५९३६१५**	**९८.२४**	**९९९५३८४५**	**९७.९६**
कुल (ए) + (बी)	**१०२३९९६०१**	**१००.००**	**१०२०३७५०१**	**१००.००**

३१ मार्च, २०१९ को शेयरधारिता का तरीका

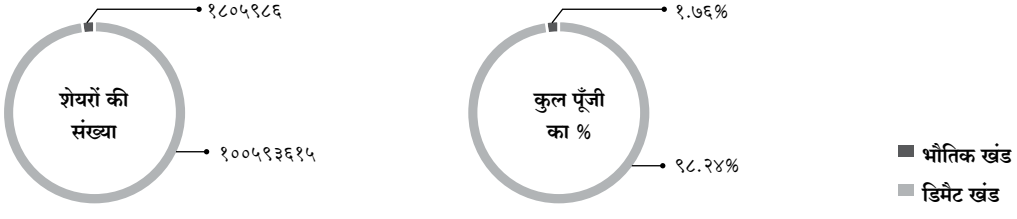

शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन – प्रक्रिया

शेयरधारक जिनके पास अभी भी भौतिक शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन जल्द से जल्द करवाएँ और डीमैट रूप में शेयरों में काम करने का लाभ उठाएं। शेयरधारकों की सुविधा के लिए, शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया नीचे दी गई है :

अ) किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ एक डीमैट खाता खोला जाना चाहिए।

ब) शेयरधारकों को अपने डीपी को शेयर प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति के साथ डिमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म (डीआरएफ) जमा करना चाहिए।

क) डीपी डीआरएफ को संसाधित करेगा और एक डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट नंबर (डीआरएन) उत्पन्न करेगा।

ड) डीपी, डीआरएफ और मूल शेयर प्रमाण पत्रों को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, के पास जमा करेगा।

ई) आरटीए, डीआरएफ को संसाधित करेगा और डीपी/डिपॉजिटरी के अनुरोध की पुष्टि करेगा या तो उसे अस्वीकार करेगा।

फ) अनुरोध की पुष्टि होने पर, शेयरधारक के शेयर्स डीपी के साथ खोले गए उसके डीमैट खाते में जमा हो जाएंगे।

फोलियोज़ का एकीकरण और कई मेल करने से बचना

निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी को लागत और दोहरेपन को कम करने में सक्षम बनाने के लिए, जिन सदस्यों के नाम एक ही क्रम में एक से अधिक फोलियो में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एक ही फोलियो के तहत अपनी होल्डिंग को समेकित करें। सदस्य अपने जिन फोलियो संख्याओं को समेकित करना चाहते हैं उनकी संख्या और मूल शेयर प्रमाणपत्रों के साथ आरटीए को लिख भी सकते हैं।

शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मिलान

सेबी द्वारा निर्धारित अनुबंध के अनुसार, एक योग्य प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ कुल जमा की गई पूंजी और कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी के मिलान के लिए सचिवीय लेखा परीक्षण करता है। यह लेखा परीक्षण प्रत्येक तिमाही में किया जाता है और इसकी रिपोर्ट एनएसई और बीएसई को भेजी जाती है, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध होते हैं। यह लेखा परीक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी की कुल सूचीबद्ध और चुकता शेयर पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और अभौतिक रूप में (एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ) शेयरों की कुल संख्या के बराबर है।

साचिविक मानकों का अनुपालन

कंपनी ने कॉरपोरेट लॉ के विभिन्न पहलुओं और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए कार्यप्रणाली के संबंध में सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

लेखा परीक्षकों द्वारा अनुपालन प्रमाण पत्र

कंपनी के लेखा परीक्षकों मेसर्स एस आर बी सी एंड कंपनी एलएलपी का प्रमाणपत्र, कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों, जो सूचीकरण नियमों की त अनुसूची के खंड ई के तहत निर्धारित है, के अनुपालन की पुष्टि करता है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

३१ मार्च, २०१९ को कंपनी के एनसीडी धारक

क्रम संख्या	डिबेंचर धारकों के नाम	अंकित मूल्य ₹१०,००,०००/- प्रत्येक के धारीत एनसीडीज़ की संख्या	कूपन दर	आईएसआईएन
१.	एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क डेट फंड	३५०	परिपक्वता तक ११% प्र. व. प्राप्ति, शून्य कूपन के साथ	आईएनई१९३ई०८०३८
२.	एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क डेट फंड	७५०		आईएनई१९३ई०८०२०
३.	एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क डेट फंड	७५०		आईएनई१९३ई०८०१२

बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या किसी भी तरह के परिवर्तनीय इंस्ट्रूमेंट, परिवर्तन तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव: लागू नहीं

कंपनी के शेयर/जीडीआर्स, निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं और उन स्टॉक एक्सचेंजों को इसका शुल्क भर दिया गया है :

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) पी.जी. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई ४००००१	५०००३१
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, ५वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०००५१	BAJAJELEC

₹१०,००,०००/ – प्रत्येक अंकित मूल्य के असुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडीज़) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के थोक ऋण बाजार खंड में सूचीबद्ध हैं:

सिरीज़	कूपन दर %	आईएसआईएन	मूलधन राशि (₹ करोड़ में)	परिपक्वता तिथि	डिबेंचर ट्रस्टी	क्रेडिट रेटिंग
ए	एनसीडीज़	आईएनई१९३ई०८०३८	३५	१९ फरवरी, २०२१	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड	[आईसीआरए] ए+
बी	शून्य कूपन के साथ ११% प्र.व.	आईएनई१९३ई०८०२०	७५	२०अगस्त, २०२१		
सी	परिपक्वता राशि	आईएनई१९३ई०८०१२	७५	१८ फरवरी, २०२२		

डिबेंचर ट्रस्टी के पतो का ब्यौरा : एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड, दूसरी मंजिल 'इ', एक्सिस हाऊस, बॉम्बे डाईंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई – ४०० ०२५ । फ़ोन नं. : ०२२-२४२५ ५२१५/५२१६, फैक्स : ०२२-२४२५ ४२००. ई-मेल : debenturetrustee@axistrustee.com वेबसाइट : www.axistrustee.com

शेयर मूल्य आँकड़े

वित्त वर्ष २०१८-१९ दरमियान बीएसई तथा एनएसई पर कंपनी के इक्विटी शेयरों की हर माह की उच्च तथा निम्न कीमतों एवं ट्रेडिंग परिमाणों का विवरण :

माह	बीएसई			एनएसई		
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या	उच्च(₹)	निम्न(₹)	ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या
अप्रैल २०१८	७०६.३५	५६९.००	१७९२०६५	७०५.८०	५६५.१०	२०८८२४७७२
मई २०१८	६७५.४५	५२४.५५	११७६५८४	६७६.२०	५२४.३०	१३१४२०४६
जून २०१८	५५९.९०	४६१.१५	१०४६८८९	५५४.००	५१५.००	११७०२८७८
जुलाई २०१८	६५८.७०	५१०.२५	१६३०८५३	६५७.४०	५१५.००	१८८३४४५६
अगस्त २०१८	६४६.००	५३९.००	११६९९५५	६४८.००	५३७.०५	१२८१५९९५
सितंबर २०१८	५७६.००	४८०.२०	५०६३७५	५७६.४०	४७८.६५	४८६४०१५
अक्तूबर २०१८	५४२.६०	४५४.००	३४४२३१	५४४.००	४५१.९५	४७३१८९४
नवंबर २०१८	५२७.००	४५१.००	९९३१२९	५२३.००	४५०.५०	६२९००२०
दिसंबर २०१८	५२५.४०	४५०.००	४०८८०२	५२६.५०	४५२.००	४०१६७७४
जनवरी २०१९	५२१.००	४१७.९०	३६५५२०	५२१.४०	४१६.३५	२९८०७७३
फरवरी २०१९	५२४.६५	३७९.००	६२१४१२	५२४.८०	४२४.२०	६६९१४८०
मार्च २०१९	५७२.००	४४८.००	८५७३३४	५७१.८०	४४९.१५	६०९२८०८

(स्रोत : बीएसई तथा एनएसई वेबसाइट)

बीएसई सूचकांक, एनएसई निफ्टी और बीएसई ५०० सूचकांक की तुलना में प्रदर्शन

माह	महीने के आखिरी कारोबारी दिन एनएसई पर कंपनी का समापन मूल्य (₹)	महीने के आखिरी कारोबारी दिन के समापन पर बीएसई सूचकांक (₹)	महीने के आखिरी कारोबारी दिन के के समापन पर एनएसई निफ्टी (₹)	महीने के आखिरी कारोबारी दिन के समापन पर बीएसई ५०० सूचकांक (₹)
अप्रैल २०१८	६५४.८५	२९,९१८.४०	६५६.१५	१२,९७९.२०
मई २०१८	५३२.०५	३१,१४५.८०	५३३.६०	१३,१९९.२०
जून २०१८	५४४.०५	३०,९२१.६१	५४३.६०	१३,१७८.५०
जुलाई २०१८	६१३.००	३२,५१४.९४	६१२.४५	१३,८९७.२०
अगस्त २०१८	५६४.४५	३१,७३०.४९	५६६.७०	१३,७६२.१०
सितंबर २०१८	४९९.९५	३१,२८३.७२	५०२.५५	१३,६१०.७०
अक्तूबर २०१८	४८६.५०	३३,२१३.१३	४८४.६०	१४,४८५.६०
नवंबर २०१८	४७१.९०	३३,१४९.३५	४७२.८५	१४,४९३.६०
दिसंबर २०१८	५०३.७०	३४,०५६.८३	५०४.५०	१५,००२.७०
जनवरी २०१९	४६२.२५	३५,९६५.०२	४५८.२०	१५,३४७.२०
फरवरी २०१९	४५२.२०	३४,१८४.०४	४५३.००	१४,६७०.५०
मार्च २०१९	५५८.८५	३२,९६८.६८	५५८.१०	१४,१२५.५०

बीएसई सूचकांक बनाम कंपनी का शेयर मूल्य प्रदर्शन :

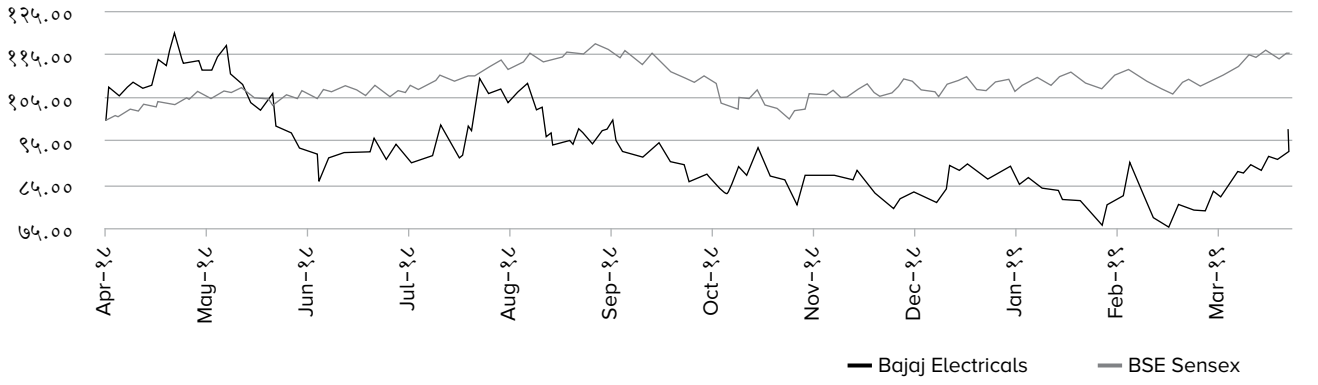

ध्यान दें : कंपनी का शेयर मूल्य और बीएसई सूचकांक १ अप्रैल, २०१८ को १०० तक अनुक्रमित किया गया था.

एनएसई निफ्टी बनाम कंपनी का शेयर मूल्य प्रदर्शन :

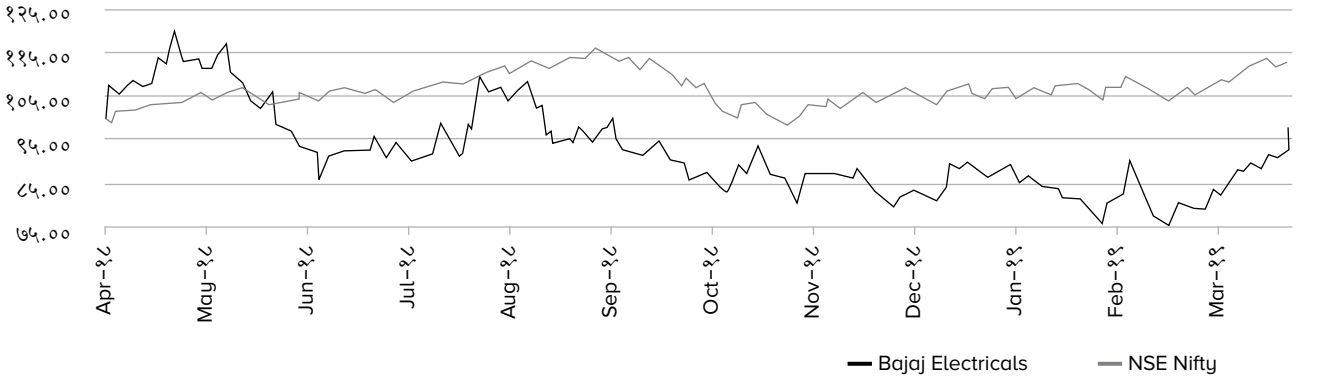

ध्यान दें : कंपनी का शेयर मूल्य और एनएसई निफ्टी १ अप्रैल, २०१८ को १०० तक अनुक्रमित किया गया था।

बीएसई ५०० बनाम कंपनी का शेयर मूल्य प्रदर्शन :

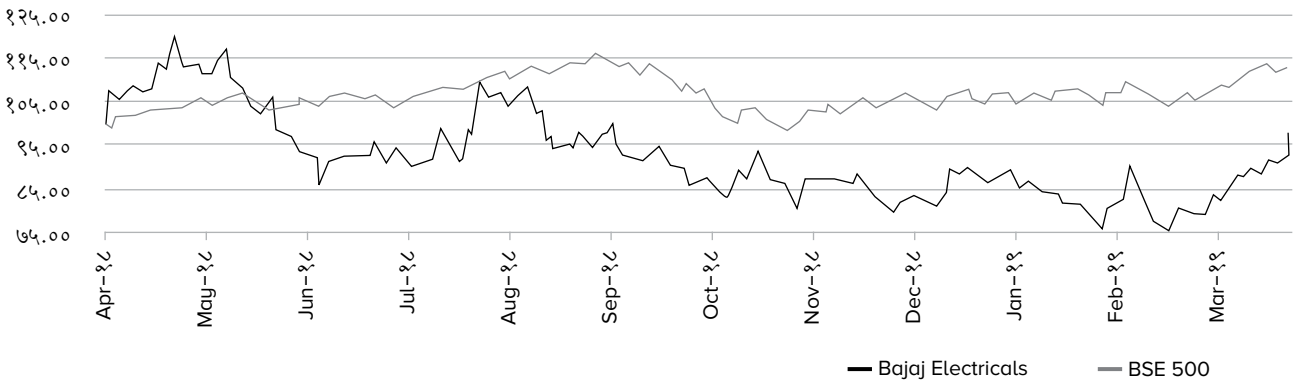

ध्यान दें : कंपनी का शेयर मूल्य और बीएसई ५०० १ अप्रैल, २०१८ को १०० तक अनुक्रमित किया गया था।

शेयरधारकों के साथ संचार के साधन

(i) अ-लेखापरीक्षित तिमाही/छमाही परिणाम, तिमाही की समाप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित कर दिए जाते हैं। लेखा परीक्षण किए हुए वार्षिक परिणाम, सूचीकरण विनियमों की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय वर्ष के समापन से साठ दिनों के भीतर घोषित किए जाते हैं।

(ii) स्वीकृत वित्तीय परिणाम उसी समय स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे जाते हैं और 'फ्री प्रेस जर्नल'(अंग्रेजी समाचार पत्र) और 'नवशक्ति' (स्थानीय भाषा मराठी अखबार) में इसके अनुमोदन के अड़तालीस घंटे के भीतर प्रकाशित होते हैं। फिलहाल इसे शेयरधारकों को अलग से नहीं भेजा जाता है।

(iii) कंपनी के वित्तीय परिणाम और आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियाँ कंपनी की वेबसाइट- www.bajajelectricals.com पर प्रदर्शित की जाती हैं।

(iv) संस्थागत निवेशकों या/और विश्लेषकों के लिए बनाई गई कोई प्रस्तुति भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

(v) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जिन्हें कंपनी के शेयरधारकों को भेजा जाता है।

(vi) तिमाही परिणाम, शेयरधारिता शैली, त्रैमासिक अनुपालन और अन्य सभी कॉर्पोरेट संचार, स्टॉक एक्सचेंजों जैसे की, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी ने बीएसई के बीएसई सूचीकरण केंद्र के माध्यम से सबमिशन दाखिल करने का अनुपालन किया है। इसी तरह, एनएसई के एसईएपीएस पोर्टल के माध्यम से एनएसई के साथ भी उक्त जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाता है।

(vii) कंपनी की वेबसाइट पर एक अलग समर्पित अनुभाग, "इन्वेस्टर्स रिलेशन" दावा-रहित लाभांश, शेयरधारिता शैली, तिमाही/छमाही परिणाम और ब्याज की प्रासंगिक जानकारी निवेशकों/जनता को देता है।

(viii) सेबी एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली यानी एससीओआरईएस में निवेशकों की शिकायतों को संसाधित करता है। इस प्रणाली के माध्यम से एक शेयरधारक अपनी शिकायत के निवारण के लिए कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। कंपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई को अपलोड करती है जिसे शेयरधारक द्वारा देखा जा सकता है। कंपनी और शेयरधारक, सेबी के माध्यम से ऑनलाइन स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और दे सकते हैं।

(ix) कंपनी ने निवेशक से संपर्क के लिए ईमेल आईडी : legal@bajajelectricals.com को नामित किया है, और इसे कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर प्रमुखता से दर्शाया गया है।

शेयर हस्तांतरण प्रणाली

भौतिक शेयरों का हस्तांतरण आरटीए द्वारा प्राप्ति की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर को संसाधित और पूरा किया जाता है बशर्ते कि सभी दस्तावेज मान्य हों। इलेक्ट्रॉनिक शेयरों के मामले में, हस्तांतरण एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। सूचीकरण विनियमों के अनुपालन में, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव शेयर हस्तांतरण की प्रणाली का लेखा परीक्षण करता है और उस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

नामांकन

व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से भौतिक शेयर रखने वाला व्यक्तिगत शेयरधारक किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसके नाम पर पंजीकृत शेयरधारक(कों) की मृत्यु हो जाने पर शेयर हस्तांतरणीय होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में नामांकन सुविधा एनएसडीएल और सीडीएसएल पर लागू उपनियमों और व्यवसायिक नियमों के अनुसार डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास भी उपलब्ध है। नामांकन फॉर्म आरटीए से प्राप्त किए जा सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी कंपनियों के लिए लाभांश जमा करने के लिए डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते के विवरण का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। जहाँ जहाँ कंपनी के पास पूरा कोर बैंकिंग विवरण उपलब्ध है, लाभांश सदस्यों के बैंक खाते में ईसीएस के माध्यम से जमा किया जाएगा। अगर कंपनी के पास कोर बैंकिंग विवरण उपलब्ध नहीं है तो, उन सदस्यों को कंपनी के रिकॉर्ड में उपलब्ध बैंक विवरण मुद्रित कर लाभांश वारंट जारी किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभांश वारंट, भले ही खो जाए या चोरी हो जाय, लाभांश वारंट पर निर्दिष्ट खातों में धन जमा करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है और निवेशकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित होती है। कंपनी सेबी की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए दस्तावेजों की सेवा

ग्रीन इनिशिएटिव के एक भाग के रूप में, जो सदस्य ई-मेल के माध्यम से नोटिस/दस्तावेज प्राप्त करना चाहते हैं, वे कृपया अपने ई-मेल पते आरटीए की ई-मेल आईडी : rnt.helpdesklinkintime.co.in पर सूचित कर सकते हैं।

पत्र व्यवहार हेतु पता : शेयरधारकों के समस्त पत्र आरटीए या कंपनी को भिजवाए जाने चाहिए, जिनके पते नीचे दिए गये हैं :

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी १०१, २४७ पार्क, एल बी एस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०८३. फ़ोन : ०२२-४९१८ ६००० फैक्स : ०२२-४९१८ ६०६० ई-मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in वेबसाइट : www.linkintime.com	मंगेश पाटील, अनुपालन अधिकारी वैधानिक व सेक्रेटेरियल विभाग बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ४५/४७, वीर नरीमन रोड, मुंबई - ४०० ००१. फ़ोन : ०२२-६११० ७८०० / ६१४९ ७००० ई-मेल : legal@bajajelectricals.com वेबसाइट : www.bajajelectricals.com

कारख़ानों / प्लाँट्स की अवस्थिति :

चाकण इकाई :	**रांजनगांव इकाई :**	**विंड फ़ार्म :**
ग्राम महालुंगे, चाकण, चाकण-तलेगांव मार्ग, तालुका : खेड़, जिला : पुणे, महाराष्ट्र - ४१० ५०१.	एमआईडीसी-रांजनगांव, ग्राम : ढोकसांगवी, तालुका : शिरूर, जिला : पुणे, महाराष्ट्र-४१२ २१०.	ग्राम : वंकुसावड़े तालुका : पाटण, जिला : सातारा, महाराष्ट्र-४१५ २०६.